

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 12.12.2023

निर्णय उद्घोषित : 08.01.2024

आप.वि.वा. 2757/2023

आयकर कार्यालय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

अनिल टुटेजा & अन्य

..... प्रत्यर्थागण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री एस. वी. राजू, अति.महा.सा. के साथ श्री जोहेब हुसैन, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता और श्री संजीव मेनन, राजस्व/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थागण के लिए : डॉ. अभिषेक सिंघवी और श्री एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अर्शदीप सिंह खुराना, श्री हर्ष श्रीवास्तव और श्री सिदक सिंह आनंद, प्र.-1 और प्र.-2 के अधिवक्ता।

श्री मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अंशुल राय, श्री निमित्त और श्री हर्षवर्धन, प्र.-3 के अधिवक्तागण।

श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री राहुल त्यागी, श्री संगीत सिबौ, श्री जतिन,

श्री आशीष छोजर, सुश्री मिज़बाह डेबर और श्री शिवम बत्रा, प्र.-4 और प्र.-5 के लिए अधिवक्तागण

श्री पी. राँयचौधरी, प्र.-8 के लिए अधिवक्ता।

श्री सिद्धांत कुमार, श्री शिवंकर राव और श्री मान्या चंडोक, प्र.-10 के लिए अधिवक्तागण।

श्री कपिल सिब्बल और श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री अंकुर चावला, श्री महेंद्र कुमार और श्री आमिर खान और श्री महेश कुमार, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अभियोजित पक्षकार ।

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला

निर्णय

आप.वि.आ.10323/2023 और आप.वि.आ.19314/2023 (रोक के लिए दोनों)

1. यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "दं.प्र.सं." के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत आवेदन है, जिसमें विद्वान अति.मु.महा.द. (विशेष अधिनियम), सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा सी.टी. मामला संख्या 1183/2022 शीर्षक "आयकर कार्यालय बनाम अनिल टुटेजा और अन्य" में पारित दिनांकित 06.04.2023 के आदेश के आक्षेपित भाग के संचालन पर रोक लगाने के लिए है।"

2. दिनांक 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश से लिए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

“आयकर कार्यालय द्वारा श्री सेउज कुमार सैकिया, डी.डी.आई.टी., जाँच यूनिट-1 (4), नई दिल्ली के माध्यम से एक शिकायत की गई थी, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278 ख/278 ड (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित धारा 276 ग(1)/277/278 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 120ख/191/199/200/204 के तहत दंडनीय अपराध करने का अभिकथन लगाया गया था चुकी, वर्तमान शिकायत एक लोक सेवक द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन और अपने नियुक्ति के दौरान दायर की गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता के ए.आर. की औपचारिक परीक्षा को दं.प्र.सं. की धारा 200 के परंतुक (क) के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया था।

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोगों की गंभीर बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक पदोन्नत आई.ए.एस. अधिकारी अनिल टुटेजा (अभियुक्त संख्या 1), छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, खनन, शराब व्यापार और लाइसेंसिंग जैसे क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न चैनलों के माध्यम से बेहिसाब नकदी की आवाजाही में लगे हुए हैं। उसका बेटा यश टुटेजा (अभियुक्त संख्या 2) और सौम्या चौरसिया (अभियुक्त संख्या 3) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उप सचिव उसके साथी हैं जो सक्रिय रूप से शामिल हैं और उपरोक्त अवैध कार्यों में शामिल हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 3 के बीच कई व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए दिखाया गया है कि उन्होंने राम गोपाल अग्रवाल (प्रवक्ता, पीसीसी) को एक नौकरशाह द्वारा 4.5 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान, विकास तिवारी (पीसीसी प्रवक्ता) के घर के निर्माण के लिए उपयोग किए गए 75 लाख रुपये, अभियुक्त संख्या 4 अनवर ढेबर (रायपुर के मेयर के भाई) को दिए गए 3 लाख रुपये और अशोक चतुर्वेदी (जीएम पाठ्य पुस्तक निगम) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले के निपटारे के लिए भुगतान की गई राशि आदि। एक व्हाट्सएप बातचीत में, अभियुक्त संख्या 1 और 3 मुकेश, मनदीप

(अभियुक्त संख्या 8), किशोर, सोनवानी, आर.जी. और भाटिया के संबंध में 'भुगतान' के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस चैट के अनुसार, आर.जी. (राम गोपाल अग्रवाल माना जाता है) और भाटिया (पवन भाटिया का संक्षिप्त रूप) कथित रूप से मुकेश (12.96 करोड़ रुपये), मनदीप (14.86 करोड़ रुपये) और किशोर (16 करोड़ रुपये) द्वारा बनाई गई है, ये तीनों व्यक्ति अनुमोदित दर ठेकेदारों के रूप में कृषि विभाग के साथ सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिनिधि थे। जांच में पता चला कि प्रतिनिधियों द्वारा भुगतान की गई राशि न तो सरकार को दी गई थी और न ही किसी वैध उद्देश्य के लिए। जैसा कि उनके व्हाट्सएप चैट से पता चला कि 3 करोड़ की राशी अभियुक्त संख्या 1 और 3 की ओर से मनीष के हाथों से गई है अभियुक्त संख्या 8 मनदीप चावला ने अभियुक्त संख्या 1 और 3 से विभिन्न खनन कार्यों और अनुबंधों के लिए कथित तौर पर समर्थन मांगा। चैट से पता चलता है कि अभियुक्त संख्या 8 भी अभियुक्त संख्या 1 के लिए पैसे इकट्ठा करता है।

अभियुक्त संख्या 1 और एक आई.एफ.एस. अधिकारी अनिल राय (सचिव पीडब्ल्यूडी, छत्तीसगढ़) के व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण से आई.एफ.एस. अधिकारी से अभियुक्त संख्या 4 को पैसे के भुगतान के बारे में पता चला। अभियुक्त संख्या 4 ने कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 1 और 3 के इशारे पर व्यापारियों से रिश्वत ली। अभियुक्त संख्या 4 की व्हाट्सएप चैट से पता चला कि अभियुक्त संख्या 1 के इशारे पर किसी व्यक्ति द्वारा उसे 5 करोड़ रुपये दिए गए थे। आगे की जांच में पता चला कि अभियुक्त संख्या 1 और 4 के बीच वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रायपुर के विभिन्न डिस्टिलर्स के बीच देशी शराब, बीयर के निर्माण के प्रतिशत हिस्से के प्रस्तावों के बारे में व्हाट्सएप बातचीत हुई। उन्होंने डिस्टिलर्स (शराब बनाने वाले) के प्रत्येक समूह को आवंटित किए जाने वाले शेयरों और उनकी आपतियों आदि के बारे में भी चर्चा की। अभियुक्त संख्या 4 की चैट से उसके द्वारा शराब और अन्य व्यवसायों से रिश्वत वसूलने और उस पैसे को अभियुक्त संख्या 1 को ट्रांसफर करने की जानकारी सामने आती है। अभियुक्त संख्या 1 और 4 के बीच व्हाट्सएप पर 10 और 20 रुपये के नोटों की फोटो का आदान-प्रदान पैसे के आदान-प्रदान के बारे में

कोड भाषा में संसूचना देने के क्रम में किया गया किया गया। खानों के आवंटन और रॉयल्टी भुगतान आदि के मुद्दे भी अभियुक्त संख्या 1 और 4 की चैट का हिस्सा थे।

अभियुक्त संख्या 9 मेसर्स लिंगराज सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक 12.02.2009 को कोलकाता में निगमित एक कंपनी है और कथित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त संख्या 1 और 2 द्वारा नियंत्रित है। अभियुक्त संख्या 9 का प्रबंधन अनुमानतः सी.ए. विकास अग्रवाल (अभियुक्त संख्या 7) द्वारा किया जाता है। अभियुक्त संख्या 7 द्वारा अभियुक्त संख्या 2 के साथ बैंक खाता संख्या साझा किए गए, जिसके बाद अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते से विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। जांच के दौरान यह भी पता चला कि चामुंडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और महादेव कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2009-10 में अभियुक्त संख्या 9 में बहुत अधिक मूल्यांकन पर निवेश किया था (प्रत्येक शेयर 10 रुपये अंकित मूल्य का 990 रुपये के अधिमूल्यन पर अभिदत्त किए गए थे) जबकि अभियुक्त संख्या 9 के पास उस समय कोई निवेश या सार्थक/ उपयुक्त व्यवसाय नहीं था। अभियुक्त संख्या 10 सौरभ जैन और अभियुक्त संख्या 11 वैभव सलूजा तब अभियुक्त संख्या 9 के शेयरधारक थे। अभियुक्त संख्या 10 और 11 वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अभियुक्त संख्या 9 के बैंक अकाउंट ब्यौरे को निवेदित करने में विफल रहे, जिससे पता चलता है कि प्रीमियम पर शेयर जारी करने का पूरा लेनदेन एक फर्जी लेनदेन था, जिसे बेहिसाब धन को रखने के लिए अभिकल्पित किया गया था। अभियुक्त संख्या 10 और 11 के पास मेसर्स सफल मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी थी, मेसर्स सफल मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2010 में अभियुक्त संख्या 9 के 93% शेयर हासिल किए। मेसर्स सफल मल्टी ट्रेड के पास अभियुक्त संख्या 9 के 93% शेयर हासिल करने के समय कुछ लाख रुपये की सम्पत्ति आधार के रूप में थी, जिसकी तुलनपत्र में प्रतिभूति प्रीमियम 13 करोड़ रुपये की थी। अभियुक्त संख्या 11 मेसर्स मीनाक्षी ब्यूटी एंड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी द्वारा संचालित

व्यवसाय) का कर्मचारी था। अभियुक्त संख्या 11 ने 2017 में सफल मल्टी ट्रेड में अपने शेयर धारण को हस्तांतरित कर दी। अभियुक्त संख्या 7 ने खुलासा किया कि अभियुक्त संख्या नंबर 9 का स्वामित्व मेसर्स सफल मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसका स्वामित्व स्वयं स्वाति और निशी अग्रवाल के पास है (अभियुक्त संख्या 14 और 15) जिन्होंने फरवरी 2019 में इसके शेयर खरीदे थे, लेकिन 1.2 करोड़ रुपये के बिक्री प्रतिफल का भुगतान आज तक नहीं किया गया था। अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते से समय-समय पर मेसर्स मीनाक्षी ब्यूटी एंड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को पैसा हस्तांतरित किया गया। अभियुक्त संख्या 9 के निदेशक अशोक कुमार अग्रवाल और गरिमा शर्मा (क्रमशः अभियुक्त संख्या 12 और 13) हैं।

अभियुक्त संख्या 2 और विशाल राहटगांवकर (टुटेजा परिवार के लेखाकार) के बीच टेक्स्ट मैसेज और बैंक अकाउंट ब्यौरे से पता चलता है कि अभियुक्त संख्या 9 टुटेजा द्वारा नियंत्रित था। अभियुक्त संख्या 2 और 8 के साथ-साथ अभियुक्त संख्या 4 और नितेश पुरोहित (अभियुक्त संख्या 5) के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि शैमराँक होटल को भुगतान किया जा रहा है, जिसका स्वामित्व अभियुक्त संख्या 8 के पास है।

दिनांक 27.02.2020 को मीनाक्षी टुटेजा (पत्नी अभियुक्त सं.10) के यहां तलाशी ली गई। अभियुक्त सं. 3 के परिसरों में भी तलाशी ली गई। अभियुक्त सं. 3 ने बताया कि उसके मोबाइल फोन खो गए थे और जब उसके ई-मेल का बैंकअप(द्वारा प्राप्त करने) लेने का प्रयास किया गया तो सिंगापुर से एक डिवाइस ने एक्सेस किया और मेल में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को नष्ट कर दिया। अभियुक्त सं. 1 और 3 के व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि अभियुक्त सं.3 ने लिखा था कि उसका निजी सचिव जय चैतन्य बघेल (छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र) को पैसे देगा। अभियुक्त सं. 3 द्वारा बनाई गई डायरी को भी उसके निवास से बरामद किया गया जिसमें वर्षों से किए गए विभिन्न लेन-देन दर्ज किए गए थे, जिनके बारे में अभियुक्त सं.3 द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अभियुक्त सं.1 और 3 के बीच कोड भाषा और संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करते हुए चैट

भी पाए गए, जिसमें करोड़ों रुपये की बेहिसाब नकदी की आवाजाही दिखाई गई। अभियुक्त सं. 6 विकास अग्रवाल उर्फ सुबू अग्रवाल अभियुक्त सं.4 के साथ शराब की बिक्री से रिश्वत/कमीशन के संग्रह के बारे में व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान किया, जिससे पता चला कि वह अभियुक्त सं.1 के लिए बेहिसाब नकदी जुटाने और उसकी आवाजाही की अवैध गतिविधि में भी शामिल था। शिकायत के अनुसार 28.07.2019 से 20.12.2019 के बीच 14.41 करोड़ रुपये का कमीशन/रिश्वत अभियुक्त सं.1 को दिया गया।”

3. याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता आक्षेपित आदेश के उस हिस्से से व्यथित है, जिसके तहत विद्वान अति.मु.महा.द. ने उन अपराधों की सीमा तक शिकायत को वापस करने का निर्देश दिया था, जो विद्वान अति.मु.महा.द. के अनुसार दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर उत्पन्न हुए थे, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं आदेश का आक्षेपित भाग निम्नानुसार है: -

“आमतौर पर, हर अपराध की सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय अधिकारिता में वह किया गया हो। शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत जॉली सिंह बनाम राज्य 2022 लाइवलाॅ (दिल्ली) 1157: नामक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर ध्यान दिया गया है और उसका पालन किया जा रहा है। अभियोजन का पूरा मामला यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके रिश्वत, अवैध कमीशन, बेहिसाब धन आदि (छत्तीसगढ़ राज्य में) लिया, संग्रह का काम अभियुक्त संख्या 4 से 6 और 13 ने उनकी ओर से किया, उसके बाद अभियुक्त संख्या 7 और 10 से 15 की सहायता से, यह बेहिसाब नकदी अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते में जमा की गई, जिसने इसे या तो रख लिया या अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले ब्यूटी सैलून व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिया। इनमें से कोई भी कृत्य

दिल्ली के क्षेत्र में नहीं हुआ था। अपराधिक साजिश दिल्ली में नहीं रची गई थी, सबूतों को नष्ट करने का काम दिल्ली में नहीं किया गया था, कर का जानबूझकर वंचन या आयकर प्रतिफल का मिथ्या सत्यापन दिल्ली में नहीं हुआ था। उपर्युक्त अपराधों के लिए दिल्ली में या दिल्ली से कोई दुष्प्रेरण नहीं किया गया था। दिल्ली में कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं किया गया था। इन अपराधों के संबंध में अधिकारिकता कोलकाता या रायपुर या भिलाई या छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर है, जहां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साजिश को अंजाम दिया गया था। इन अपराधों के संबंध में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की शिकायत मूल रूप में वापस कर दी गई है और शिकायतकर्ता इसे सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय के समक्ष निवेदित कर सकता है। आमतौर पर, हर अपराध की सुनवाई एक न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय अधिकारिकता के भीतर यह किया गया है।”

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क:

4. श्री एस.वी. राजू, भारत के विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर (इसके बाद "अति.महा.सा." के रूप में संदर्भित) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होते हैं और यह निवेदन करते हैं कि विद्वान अति.मु.महा.द. द्वारा दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश में अपराधों के केवल आधे या कुछ हिस्से का संज्ञान लिया गया और आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अ.अधि." के रूप में संदर्भित) की धारा 278 ख/278 इ के साथ पठित धारा 276ग(1)/278 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "भ.दं.सं." के रूप में संदर्भित) की धारा 120ख/199/200/204 के तहत अपराधों की शिकायत इस आधार पर वापस कर दी गई कि अभियुक्त व्यक्ति को इस आधार पर दिल्ली की

न्यायालयों के पास इस तरह के अपराधों पर क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है, जो कानून में अस्वीकार्य है।

5. विद्वान अति.महा.सा. निवेदन करते हैं कि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले विद्वान दंडाधिकारी के पास मामले की सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं होना चाहिए क्योंकि अपराध का संज्ञान लेने की उसकी शक्ति क्षेत्रीय अधिकारिता से प्रभावित नहीं होती है। वह आगे निवेदन करते हैं कि दं.प्र.सं.के की धारा 179 के प्रावधान भी किसी भी न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने की शक्तियों को सीमित नहीं करते हैं। वह *ट्रिसुन केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल 1999 8 एससीसी 686*, में संप्रकाशित उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर भरोसा करते हैं। विशेष रूप से पैरा संख्या 11 और 13 को यह निवेदन करने के लिए कि न्यायालय को पूर्व-संज्ञान चरण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारिता द्वारा दुर्बल नहीं किया जा सकता है।

6. विद्वान अति.महा.सा. आगे निवेदन करते हैं कि यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला है जो एक सतत अपराध है और होना जारी है जब भी षड्यंत्रकारियों में से कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला करता को अनुक्रम में करता है, इस संबंध में, वह *अजय अग्रवाल वि. भारत संघ और अन्य (1993) 3 एससीसी 609*, में के रूप में संप्रकाशित मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है। विशेष रूप से पैरा 25 के लिए जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक षड्यंत्र का प्रदर्शन जारी रहता है, यह

एक सतत अपराध है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसके दो या दो से अधिक पक्ष हैं, जो योजना को लागू करने का इरादा रखते हैं।

7. उन्होंने आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामले में साजिश केवल करों के चोरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि झूठे बयान देकर याचिकाकर्ता प्राधिकरण को गुमराह करने तक विस्तृत है। इस आधार पर, वह निवेदन करते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 131 (1 क) के तहत अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए बयान उस षड्यंत्र का हिस्सा हैं जिसके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही उनके शुरू की गई थी।

8. विद्वान अति.महा.सा. निवेदन करते हैं कि भले ही आपराधिक षड्यंत्र दिल्ली में नहीं रची गई हो और कर चोरी या आयकर प्रतिफल का झूठा सत्यापन दिल्ली में नहीं हुआ हो, लेकिन आयकर अधिनियम के समक्ष आयकर अधिनियम की धारा 131(1क) के तहत अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 द्वारा दिए गए बयान, आयकर अधिनियम की धारा 276ग और भ.दं.सं. की धारा 120ख के तहत अपराध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उसका विस्तार है। नतीजतन, दिल्ली वह स्थान बन जाता है जहां अभियुक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र का अपराध जारी रखा गया था, इस प्रकार दिल्ली की न्यायालयों को सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता दी गई थी।

9. विद्वान अति.महा.सा. दं.प्र.सं. की धारा 178 और 179 को संदर्भित करता है, जो यहां उद्धृत किए गए हैं: -

“178. जाँच या विचारण का स्थान।

(क) जहाँ यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें में अपराध किया गया था, या

(ख) जहाँ अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा

(ग) जहाँ एक अपराध, चालू रहने वाला है, और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा

(घ) जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है,

वहाँ उसकी जाँच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारीता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

179. अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला ।

जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला।”

इस पर, वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामला आपराधिक षड्यंत्र का है जो एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया गया है और इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 178 (ग) के प्रावधानों के तहत आता है।

10. यह निवेदन किया गया है कि यहाँ कार्रवाई में निरंतरता और उद्देश्य है जो अघोषित आय की प्राप्ति के लिए षड्यंत्र से शुरू होती है और प्रत्यर्थीगण के प्रतिफल से ऐसी आय को छिपाने और अधिकारियों को सम्मिलित रूप से टालने और विचलित करने तक फैली हुई है, जिसमें दिल्ली के क्षेत्र में आयकर अधिनियम की धारा 131 (1क) के तहत दिए गए बयान भी शामिल हैं। विद्वान अति.महा.सा. का प्रतिवाद है कि प्रत्यर्थीगण, ने आपराधिक साजिश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता प्राधिकरण को भ्रामक बयान दिए और जैसा कि यह कानून की एक स्वीकृत स्थिति है कि साजिश के अनुसरण में किए गए खुले कार्य उसी लेनदेन का हिस्सा बनेंगे, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता प्राधिकारी को बयान देना उसी लेनदेन का हिस्सा होगा, इस प्रकार दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकारिता का आव्हान करना।

11. विद्वान अति.महा.सा. ने **असित भट्टाचार्जी बनाम हनुमान प्रसाद ओझा एवं अन्य (2007) 5 एससीसी 786** में रिपोर्ट किया गया में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है, वहाँ दं.प्र.सं. की धारा 190 (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए सशक्त दंडाधिकारी की अधिकारिता के भीतर स्थित संबंधित पुलिस थाना के पास जांच करने का अधिकारिता होगी। इस आधार पर, श्री राजू निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता दिल्ली में जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा तब उत्पन्न हुआ जांच कर रहा है, जब

अभियुक्त प्रत्यर्थागण ने याचिकाकर्ता प्राधिकरण को भ्रामक बयान दिए और इस कारण से, अति.मु.महा.द. के पास संज्ञान लेने और यहां तक कि मामले की कोशिश करने की अधिकारिता थी।

12. श्री राजू ने आगे **चंद्र सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस उर्फ छबी बोस और अन्य ए.आई.आर. 1963 एससी 1430**, के रूप में संप्रकाशित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है विशेष रूप से पैरा 7 में यह निर्धारित किया है कि प्रक्रिया जारी होने तक अभियुक्त व्यक्ति को मामले में शामिल नहीं किया जा सकता है। वह सूचित किए जाने की दृष्टि से उपस्थित रह सकता है लेकिन उसे कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बात से बल लेते हुए, विद्वान् अति.महा.सा. ने निवेदन किया कि एक अभियुक्त व्यक्ति को हस्तक्षेप करने या यहां तक कि निवेदन करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे केवल सूचित होने और उपस्थित होने का अधिकार है।

13. वह आगे निवेदन करते हैं कि यह एक स्पष्ट रूप से निर्धारित कानून है की पुलिस या शिकायतकर्ता के पास कि विचारण के स्थान को चुनने का विवेक बचा रहना चाहिए और अभियुक्त को इस मामले में कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

14. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **महिन्द्र कुमार नरेन्द्र एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य 2004 एससीसी ऑनलाइन डेल 1025**, के रूप में

संप्रकाशित विशेष रूप से पैरा 7 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि कार्यवाही किसी भी स्थान जहां अपराध आंशिक रूप से किया गया है शुरू की जा सकती है, और उन सभी क्षेत्रों पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले दंडाधिकारी को दं.प्र.सं. की धारा 170 और 173 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में सशक्त बनाता है।

15. विद्वान अति.महा.सा. ने इसके बाद **पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर 1961 एससी 1589** के रूप में संप्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 10, 11 और 12 का उल्लेख किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता के प्रावधानों को आपराधिक षड्यंत्र के अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय को अधिकारिता देने के अर्थ में जाना चाहिए, ताकि उनकी षड्यंत्र के अनुसरण में किए गए सभी प्रत्यक्ष कार्यों की सुनवाई की जा सके। यह इस कारण से है कि यदि क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के कारण न्यायालय द्वारा किए गए इस तरह के खुले कृत्यों की सुनवाई नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब यह होगा कि या तो अभियोजन पक्ष को उन प्रत्यक्ष कार्यों के करने के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का अपना अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर दोनों पक्षों को उन अपराधों की सुनवाई के लिए दूसरी न्यायालय में परेशानी उठानी पड़ेगी, जो उन्हीं प्रश्नों का निर्धारण करेंगे और उन्हीं सबूतों का

मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, दूसरी न्यायालय के पहले न्यायालय से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने का भी जोखिम होगा।

16. इस आधार पर, श्री राजू निवेदन करते हैं कि अभियुक्त प्रत्यर्थागण द्वारा की गई आपराधिक षड्यंत्र और जानबूझकर कर चोरी के कार्यों, कर अधिकारियों से बचने और उन्हें गुमराह करने के लिए प्रत्यर्था संख्या 1, 2 और 3 द्वारा एक साथ दिए गए बयानों के माध्यम से रा.रा.क्षे.दिल्ली तक फैल गए और इस तरह, दिल्ली की न्यायालयों को याचिकाकर्ता की शिकायत में अभिकथित अपराधों पर क्षेत्रीय अधिकारिता दे दी गई।

17. संधार्य के मुद्दे पर, श्री राजू **प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2016) 16 एससीसी 30** के रूप में संप्रकाशित दिए गए निर्णय से समर्थन प्राप्त करते हैं। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि दं.प्र.सं.की धारा 397 अंतवर्ती आदेशों के अलावा अन्य सभी आदेशों के खिलाफ लागू होती है, एक विपरीत दृष्टिकोण दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों की उपलब्धता को केवल छोटे अंतवर्ती आदेशों तक सीमित कर देगा, जो पूरी तरह से अनपेक्षित है। इस आधार पर, विद्वान अति.महा.सा. निवेदन करते हैं कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान याचिका दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत उपचार की उपलब्धता की परवाह किए बिना संधार्य योग्य है।

18. इस प्रकार, उपरोक्त प्रतिविरोधों और जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, के आधार पर, विद्वान अति.महा.सा. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278ख/278ड के साथ पठित धारा 276ग(1)/278 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख/199/200/204 के संबंध में अपराधों के संबंध में शिकायत वापस करने वाले विद्वान अति.महा.सा. द्वारा दिनांकित 06.04.2023 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश के संचालन पर अवरोध लगाने के लिए इस न्यायालय से अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अनुग्रह चाहते हैं।

प्रत्यर्था संख्या 3 की ओर से तर्क

19. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत प्रावधान पर विस्तार से चर्चा करके याचिका संधार्य को चुनौती देते हुए अपने तर्कों को शुरू किया, इस बात पर जोर देने के लिए कि हालांकि ऐसे आदेश को आक्षेपित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। परन्तु इसे संधार्य करने के लिए याचिकाकर्ता को यह दिखाना पड़ेगा कि “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” या “न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने” के लिए या कुछ “अपवाद या असाधारण परिस्थितियां” है जो वास्तव में याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करते हुए धारा दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस तरह की तत्काल याचिका दायर करने का कारण बना है।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि तय कानून के अनुसार, धारा दं.प्र.सं की धारा 482 को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब याचिकाकर्ता के लिए एक स्पष्ट वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो और कानून के उसी सिद्धांत का पालन विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विवेक के नियम के रूप में इस तरह के सिद्धांत को बनाए रखने और पालन करते समय किया गया हो। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने वास्तव में दं.प्र.सं की धारा 397 के तहत याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए वैधानिक उपाय, यानी आपराधिक पुनरीक्षण को दरकिनार कर दिया है, और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग या वर्तमान मामले के तथ्यों में उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थिति के किसी भी संकेत को प्रदर्शित या अभिवचन दिए बिना इस न्यायालय के अधिकारिता का सहारा लिया था।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे मापदंडों की "गोल्डन थ्रेड" अवधारणा पर जोर दिया, जो याचिकाकर्ता को दं.प्र.सं की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार दे सकता है, यह केवल तभी होता है जब पीड़ित यह दिखाने में सक्षम होता है कि विचाराधीन शिकायत अंतरस्थ उद्देश्यों के साथ दायर की गई है जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने या किसी भी अप्रिय घटना या संयोग को रोकने के लिए है जो एक असाधारण परिस्थिति का गठन करती है।

22. अपने उपरोक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए और दं.प्र.सं की धारा 397 और धारा 482 के संबंध में परिधि और अधिकारिता पर और जोर देने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों से संबंधित पैरा पर भरोसा किया और पढ़ा:-

(क) *अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) 9 एससीसी 460 पैरा 20 और 21.*

(ख) *मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एससीसी 551 पैरा 8 से 10.*

(ख) *निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (ओ) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315 पैरा 11, 34, 36 से 41, 58, 59, 63 और 77.*

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए इस प्रतिविरोध पर स्पष्ट रूप आक्षेप किया कि विद्वान अति.मु.महा.द. को संज्ञान लेना चाहिए था और फिर वर्तमान शिकायत के क्षेत्रीय अधिकारिता के पहलू पर निर्णय करना चाहिए था या बल्कि उक्त उद्देश्य के लिए जांच की जानी चाहिए, और निवेदन किया कि यह पूर्णरूप से गलत है और उक्त उद्देश्य के लिए जांच वर्तमान शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में विद्वान अति.मु.महा.द. द्वारा विधिवत रूप से की गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित आदेश के पृष्ठ 5 की ओर आकर्षित करते हैं ताकि निवेदन किया जा सके कि विद्वान अति.मु.महा.द. ने शिकायतकर्ता के

संबंधित अधिकारियों से उचित जांच करने के बाद संज्ञान के मुद्दे पर निर्णय किया था।

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि विद्वान अति.मु.महा.द. अधिकारिता के संबंध में लागू कानून से भी अवगत थे, क्योंकि विद्वान अति.मु.महा.द. ने शिकायत के पृष्ठ 7 में विधिवत नोट किया था कि दिल्ली में अधिकारिता इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि निर्धारण आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीकृत किया गया था और यह भी कि आयकर अधिनियम की धारा 131 (1क) का उल्लंघन हुआ है। अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान अति.मु.महा.द. ने उचित जांच करने के बाद अन्य कथित अपराधों के लिए यह निष्कर्ष निकालते हुए शिकायत वापस कर दी थी, कि पूरी साजिश और उसके घटक केवल छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए हैं और इसलिए, उन अपराधों के लिए, दिल्ली में न्यायालयों की अधिकारिता नहीं बनती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे इस बात पर जोर देते हैं कि आयकर निर्धारण का हस्तांतरण किसी भी स्थान पर अधिकारिता प्रदान नहीं करता है और इसलिए विद्वान अति.मु.महा.द. इस बात पर विचार करने में बिल्कुल सही थे कि केवल दिल्ली में मूल्यांकन का हस्तांतरण छत्तीसगढ़ में किए गए कथित अपराधों पर दिल्ली में आपराधिक न्यायालयों के अधिकारिता को निवेदित नहीं करते हैं।

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान शिकायत में अपराधों का मुख्य कारण वास्तव में आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) के तहत आरोपित अपराध हैं और इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि अभियुक्तों पर आयकर अधिनियम की धारा 131(1क) के तहत किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ अंत में भी, इस प्रकार दायर की गई शिकायत में यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन केवल दो अपराधों के लिए है, जिसके लिए राहत प्रार्थना में आगे मांगी गई है और इस प्रकार, यह निवेदन किया जाता है कि बयान दर्ज करने से इसका कोई लेना-देना नहीं है। बल्कि, अपराध दिल्ली में किए जाने का अभिकथन है और इस प्रकार अन्य अपराधों के संबंध में शिकायत विद्वान अति.मु.महा.द. द्वारा सही तरीके से वापस की गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 131(1क) के तहत अभियोजन पक्ष भी समय से पहले है और न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मूल्यांकन कार्यवाही की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब *ट्रिस्न्स केमिकल इंडस्ट्री (पूर्वोक्त)* में दिए गए निर्णय की प्रयोज्यता में भेद करने की मांग की, जिस पर विद्वान अति.माह.सा. ने भरोसा किया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि वर्तमान शिकायत में अपराध छत्तीसगढ़ में किए गए हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी कोई परिणाम नहीं हुआ है, इसलिए विद्वान अति.मु.महा.द. जांच के

चरण में अधिकारिता के प्रश्न पर विचार करने में सशक्त है। उन्होंने निवेदन किया कि दं.प्र.सं की धारा 179 विद्वान महा.दं. को अधिकारिता के प्रश्न पर जांच करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई अपराध या उसका परिणाम उसके क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हुआ था या नहीं। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 14 की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह माना गया था कि दंडाधिकारी विचारण और परीक्षण के चरण में अधिकारिता के प्रश्न पर विचार करने में सशक्त है।

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता वास्तव में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक प्रॉक्सी मुकदमेबाजी के रूप में वर्तमान शिकायत का अनुसरण कर रहा है, इसके बावजूद कि यहाँ कोई विधेय अपराध नहीं है जिस पर प्रवर्तन निदेशालय प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को शुरू करने से रोक दिया था।

28. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अगला तर्क दिया कि केवल बयान देने को दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों के साथ समानता बनाकर साजिश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। वह निवेदन करते हैं कि अति.मु.महा.सा. ने स्वयं स्पष्ट रूप से समझा था कि दिल्ली में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दिए गए बयान, अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में उस साजिश से

संबंधित नहीं हो सकते हैं जो कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में की गई थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि संज्ञान लेते समय अति.मु.महा.सा. ने इस बात पर ध्यान दिया कि चूंकि धोखाधड़ी और कर वंचन का अपराध अलग-अलग हैं और मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान कथित झूठे बयान देने से भिन्न हैं, इसलिए इसके अधिकारिता के स्थानों का स्पष्ट सीमांकन है।

29. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि विद्वान अति.मु.महा.सा. की भी सही राय थी कि आयकर प्रतिफल दाखिल करना व्यक्तिगत आधार पर था, जो पूरी तरह एक दूसरे से अलग था और इस प्रकार एक समग्र शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता के लिए कोई साजिश नहीं हो सकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं, इसलिए तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज करने का निर्देश कानून के अनुसार था।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष निवेदित झूठे और गलत निवेदनों के मुद्दे पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 01.08.2023 के आदेश की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर लाभ उठाने का प्रयास किया क्योंकि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के केवल एक भाग पर रोक लगाई गई थी न कि संपूर्ण आक्षेपित आदेश पर। उन्होंने निवेदन किया कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय

द्वारा इस तरह के कार्यों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता स्वयं कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग या इस न्यायालय द्वारा वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए असाधारण परिस्थितियों को दिखाने में सद्भावना का अभाव रखता हो।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से तर्क

31. श्री एन. हरिहरन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरंभ में निवेदन किया कि दं.प्र.सं. की धारा 191 स्वयं उपलब्ध कराती है कि विद्वान अति.मु.महा.सा. के पास उक्त धारा में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है", पर जोर देते हुए किसी भी मामले का संज्ञान लेने का पूर्ण विवेक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान अति.मु.महा.सा. के पास अधिकारिता के मुद्दे पर विचार करने की शक्ति और विवेक था, जिसका उन्होंने विधिवत प्रयोग किया था और यह आक्षेपित आदेश के यहाँ तक स्पष्ट पढ़ने से भी प्रकट होता है और इसे *ट्रिसन केमिकल इंडस्ट्री (पूर्वोक्त)* के निर्णय से दूर नहीं किया गया है।

32. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथित साजिश का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि मूल्यांकन को केंद्रीकृत करने से छत्तीसगढ़ में कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए दिल्ली की आपराधिक न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त नहीं होती। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रतिविरोध है कि विद्वान अति.मु.महा.सा. ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इसकी विस्तार से जांच की थी और

उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई विवेकाधिकार को छीनने के समान होगी, जिसका उचित रूप से उचित उपयोग करके और स्थानीय अधिकारिता नियम को लागू करके सही तरीके से प्रयोग किया गया था, जो कि "अधिकारिता का अनुभवसिद्ध नियम" है, जो कि ट्रेसन्स केमिकल इंडस्ट्री (पूर्वोक्त) में निर्णय का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके अलावा, सही या गलत, विद्वान अति.मु.महा.सा. ने खुद ही अधिकारिता के आधार पर अपराधों को विभाजित कर दिया था, जिसके लिए शक्ति और विवेकाधिकार वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है, जैसा कि संहिता के तहत परिकल्पित है।

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थागण के खिलाफ कथित अपराध आयकर अधिनियम के तहत हैं और इसलिए, यदि कोई अपराध हो, कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जन्म देते हैं और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के अलग-अलग श्रेणी को मूल्यांकन कार्यवाही या साजिश का हिस्सा बनने के लिए जोड़ा नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि षडयंत्र का अभिकथन अपने शुरुआत से ही गलत है क्योंकि सभी लेनदेन अपनी संपूर्णता में स्वतंत्र हैं।

34. उस मामले में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्यांकन और कर प्रतिफल है और कर प्रतिफल दाखिल करने के बाद, षडयंत्र, यदि कोई हो, वहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद दिए

गए बयान षडयंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि बेशक प्रतिफल 4 साल पहले विधिवत दायर किए गए थे और इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों के कथित झूठे बयान अब उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का कारण बनेंगे जिन्होंने बहुत समय पहले ही अपना प्रतिफल दाखिल कर दिया था, जो कि मुख्य प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिल्ली में साजिश की कोई सातत्य या निरंतरता नहीं है क्योंकि कथित षडयंत्र कर प्रतिफल दाखिल करने के साथ समाप्त होती है। वह आगे तर्क देते हैं कि न्यायालय को उन अपराधों से निपटने के दौरान अधिक सतर्क रहना चाहिए जहां भा.दं.सं. की धारा 120ख भी अभिकथित है, क्योंकि दर्ज किए गए बयानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पढ़ा जा सकता है।

35. इस प्रकार उठाए गए उन प्रश्नों के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने स्वयं संबंधित आक्षेपित आदेश के औचित्य और वैधता की जांच करने वाले मामले को अभिग्रहित कर लिया था और चूंकि आदेश के केवल एक हिस्से को यहां चुनौती दी गई है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा और विवेकपूर्ण भी होगा कि वर्तमान मामले को वापस भेज दिया जाए, ताकि पूरे मुद्दे पर निर्णय लेने के साथ-साथ निष्कर्षों की विविधता या कार्यवाही की बहुलता को भी रोका जा सके ।

36. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि धारा दं.प्र.सं की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर करने के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने वास्तव में संहिता के तहत स्थापित प्रक्रिया को दरकिनार करने में प्रत्यर्थीगण के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया था। इसमें, इस युक्ति से, आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने या संहिता के अनुसार अगला कदम उठाने के अधिकार और अवसर से वंचित किया जाता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर किया गया संशोधन वास्तव में वर्तमान याचिका के लिए पूर्व-दिनांकित है, इस तथ्य के साथ कि शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता भी दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका को दायर करने और उसकी विचारणीयता को उचित ठहराने के लिए कानून की प्रक्रिया या असाधारण परिस्थिति के दुरुपयोग के किसी ठोस सबूत या घटना को इंगित नहीं करता है।

37. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया की कि दं.प्र.सं. की धारा 201 और के अध्याय-16 के संपूर्ण विवरण के अनुसार, विद्वान महानगर दंडाधिकार को अपराधों का संज्ञान लेने का विवेक दिया गया है, जो आगे यह भी प्रावधान करता है कि यदि अधिकारिता का अभाव है, तो विद्वान महानगर दंडाधिकारी को इसे अनिवार्य रूप से वापस करना चाहिए, ताकि उचित न्यायालय के समक्ष निवेदित किया जा सके। इस प्रकार, विद्वान महानगर

दंडाधिकार ने शिकायत वापस करके और इसे खारिज न करके सही किया था। याचिकाकर्ता यह दिखाने में असमर्थ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे उपायरहित हैं।

38. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इंगित करते हैं कि वर्तमान शिकायत 11.03.2021 को कथित धाराओं के तहत दायर की गई थी, जिसके आधार पर ई.डी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद "पी.एम.एल.ए." के रूप में संदर्भित) के तहत एक ई.सी.आई.आर. भी दर्ज की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विशेष रूप से इस न्यायालय को इंगित करते हैं कि यहाँ आयकर अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं है जो पी.एम.एल.ए. के तहत अनुसूचित अपराध है और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध पी.एम.एल.ए. कार्यवाही का संपूर्ण इमारत केवल दं.प्र.सं की धारा 120 ख पर आधारित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि किसी भी अनुसूचित अपराध के बिना, भा.दं.सं. की धारा 120 ख के तहत अपराध घटित नहीं हो सकता है। वह निवेदन करते हैं कि उक्त कदम/कार्रवाई कठोर है क्योंकि भा.दं.सं. की धारा धारा 120 ख के तहत बाद के निहितार्थ अभियुक्त को पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बना सकते हैं, जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है ताकि ई.डी. को शिकायतकर्ता आई.टी.ओ की आड़ में प्रॉक्सी याचिका चलाकर अनुचित तरीके से प्रवेश करने से रोका जा सके।

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ई.डी. द्वारा की गई घुसपैठ और साजिश की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि शिकायतकर्ता ई.डी. के इशारे पर वर्तमान मामले को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि ई.डी. जानबूझकर और इरादतन आंशिक स्थगन के विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश का लाभ उठा रहा है और पी.एम.एल.ए. कार्यवाही में व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे स्थगन के लिए वर्तमान आवेदन में प्रतिविरोधों पर भरोसा करते हैं ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि अभिवचनो को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि केवल ई.डी. को लाभ प्रदान किया जा सके।

प्रत्यर्थी संख्या 4 के तर्क

40. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका के पृष्ठ 73 पर संलग्न शिकायत मामला संख्या 1183/2022 और विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में संलिप्तता और अभिकथन निवेदनत करने के लिए पैरा 81 संदर्भित किया है उसी का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“81. इसलिए, की गई तलाशी, दर्ज किए गए बयानों और ऊपर दिए गए पूरे मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के पूर्ण दिग्दर्शन से, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों - अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, सौम्या चौरसिया ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 ख/ 191, 199, 200 और 204 के साथ पठित निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 276

ग(1)/277 के तहत अपराध किए हैं।; इसके अलावा, उक्त अपराधों को अनवर डेबर, नितेश पुरोहित, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, विकास अग्रवाल (कोलकाता में सी.ए.), मनदीप चावला (व्यवसायी/शैमराँक होटल रायपुर के मालिक), मैसर्स लिंगराज सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ जैन, वैभव सलूजा (2017 तक शेयरधारक), अशोक कुमार अग्रवाल और गरिमा शर्मा (वर्तमान निदेशकगण) ने वर्तमान शेयरधारक स्वाति और निशि अग्रवाल के साथ धारा 120 ख के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 278 के तहत उकसाया और सहयोग किया गया है”

41. शिकायत के व्यथित भाग को पढ़ने के बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जहां तक आय के पहलू का प्रश्न है, आय की गलत घोषणा या बेहिसाब आय को छुपाने का मामला केवल प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 के विरुद्ध है, अन्य प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध नहीं।

42. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने निवेदन किया कि यहाँ स्वयं शिकायत में ही स्पष्ट विरोधाभास विस्तारित है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 की संलिप्तता शिकायत में कहीं भी नहीं है, सिवाय प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 278 तथा भा.दं.सं. की धारा 120ख के अंतर्गत अपराध के अभिकथन के। उक्त प्रावधान का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“278. मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण - यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरीके से [कर के अधीन किसी आय या किसी अनुषंगी लाभ] से संबंधित कोई लेखा या विवरण या घोषणा करने के लिए और देने के लिए उकसाता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जनता है की वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है

या धारा 276ग की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, तो वह निम्नलिखित के लिए दण्डनीय होगा,-

(i) ऐसे मामले में जहां कर, जुर्माना या ब्याज की राशि, जो बचा ली गई होगी, यदि घोषणा, खाता या बयान को सच माना गया था, या जिसे जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, 7 [पच्चीस सौ हजार रुपये] से अधिक है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो सात साल तक जुर्माना के साथ हो सकती है;

(ii) किसी अन्य मामले में, एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ जो तीन महीने से कम नहीं होगी लेकिन जो 8 [दो साल] तक और जुर्माने के साथ बढ़ सकती है।”

43. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ शिकायत केवल भा.दं.सं. की धारा 120 ख के साथ पठित आई.टी. अधिनियम की धारा 278 के अंतर्गत है। उन्होंने आगे प्रतिविरोध किया कि एक शिकायत में जहां स्पष्ट अपराध का अभिकथन लगाया गया है, अभियोजन पक्ष अपने लक्ष्य को नहीं बदल सकता है। उस पर, वह निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ याचिकाकर्ता का अभिकथन यह है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 को झूठी विवरणी दाखिल करने और आय छिपाने में मदद की।

44. श्री माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि षडयंत्र के दो भाग हैं और भा.दं.सं. की धारा 120क और 120ख का संदर्भ देते हैं। उसी का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“120क. आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा-- जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने या करवाने या करवाने को सहमत होते हैं,

- (1) कोई अवैध कार्य, या
- (2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध संसाधनों द्वारा, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है:

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक तक न होगी, जब तक की सहमति के आलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण यह तत्त्वहीन है कि क्या अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस का आनुषंगिक मात्र है।

120ख. आपराधिक षडयंत्र का दंड (1) जो कोई मृत्यु (आजीवन कारावास) या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीफ होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप में दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयंत्र में शरीफ होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।”

उपर्युक्त धाराओं को पढ़ने पर, वह निवेदन करते हैं कि दुष्प्रेरण एक अपराध के समान होगा जब दुष्प्रेरक का कार्य आवश्यक रूप से उस व्यक्ति के कार्य से पहले होता है जो अपराध कर रहा है। किसी कार्य को अपराध बनने के लिए उकसावे के बाद किया जाना चाहिए, इसलिए उकसावा कार्य पूरा होने से

पहले किया जाता है। किसी कार्य को अपराध बनने के लिए उकसावे के बाद किया जाना चाहिए, इसलिए उकसावा कार्य पूरा होने से पहले किया जाता है।

45. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा विवरणी दाखिल (रिटर्न) न करने के लिए कथित रूप से किए गए अपराध को बढ़ावा देने का अभिकथन है। उन्होंने आगे अपराध को एक बार फिर से घटित होने के लिए निवेदन किया, याचिगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के संबंध में अन्य सभी अपराधों को गिनाया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम के एक भाग का विश्लेषण किया है और उसे पूरा माना है और प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने आई.टी. अधिनियम की धारा 278 का संज्ञान नहीं ले सकता है और उसे अलग से मुकदमा चलाना चाहिए था। इस पर, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान दं.प्र.सं. की धारा 218 की ओर आकर्षित किया। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“218. सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक अभिकथन।

(1) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक अभिकथन होगा, और ऐसे प्रत्येक अभिकथन का विचारण पृथक्तः किया जाएगा:

परन्तु जहाँ अभियुक्त व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा, ऐसा चाहता है और दंडाधिकारी की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ दंडाधिकारी उस ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 219, 220, 221 और धारा 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।”

46. श्री माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध कुछ कृत्यों का संज्ञान लिया। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, विद्वान् ए.सी.एम.एम. ने उन्हें बरी नहीं किया है, बल्कि केवल एक उचित अधिकरण में दायर की जाने वाली शिकायत को वापस कर दिया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि आई.टी. अधिनियम की धारा 278 का अभिकथन केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 को दुष्प्रेरण तक ही सीमित है,

47. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दं.प्र.सं. की धारा 2(ढ) के अनुसार अपराध कोई भी ऐसा कार्य या चूक है, जिसके बारे में यह कहते हुए संज्ञान लिया जाता है कि कोई विशेष कार्य ऐसा अपराध है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दं.प्र.सं. की धारा 482 यह जांचने का अधिकरण नहीं है कि किस अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए।

48. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर, निवेदन करते हैं कि विद्वान् सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका लंबित है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा आक्षेपित आदेश के दूसरे भाग को पूर्व में ही चुनौती दी गई है। दं.प्र.सं. की धारा 397 पर भरोसा करके, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दोनों न्यायालय अर्थात् सत्र न्यायालय और

उच्च न्यायालय, समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग करते हैं और जब उनमें से एक ऐसे प्रयोग के अधीन है, दूसरे न्यायालय के लिए भी ऐसे मामले की एक साथ जाँच करना उचित नहीं होगा। इस मामले में, इस न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन सीमित करना चाहिए।

49. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने **होन्नैह बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी 1001** में संप्रकाशित किए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ का हवाला देते हुए और भरोसा करते हुए कहा कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका को इस न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता के पास दं.प्र.सं. की धारा 397 के अधीन एक उपचार उपलब्ध है।

50. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा दायर रोक आवेदन आप.वि.अ. 19314/2023 के पैरा 7 की ओर आकर्षित करते हैं। वही यहाँ उद्धृत किया गया है:-

“7. इसके अलावा, यह निवेदन किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता विभाग द्वारा दायर याचिका में दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए याचिकाकर्ता विभाग के साथ-साथ अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों को अपने कार्यों का निर्वहन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांकित 18.07.2023 के आदेश का संदर्भ दिया जाता है, जो यश टुटेजा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, रि.या.(आप) संख्या 153/2023 में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर

किया गया था, जिसमें अनुसूचित अपराधों के आधार पर शुरू की गई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, जो सी.टी. मामला संख्या 1183/2022 का एक हिस्सा है। दिनांकित 18.07.2023 के आदेश के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:-

“पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सुनवाई करने पर यह पता चला कि शिकायतें वापस कर दी गई हैं, आयकर अधिकारियों ने इसे अपील में आगे के न्यायालय में ले लिया है और कोई भी रोक न होने के कारण, पहले से ही कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश के अलावा, संबंधित प्रत्यर्थी अधिकारियों को सभी तरह से अपने कार्य के निष्पादन को देना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया। विद्वान अति.महा.सा. के हमारे प्रश्न पर, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि उस आदेश के आधार पर रोक प्राप्त हो जाती है, तो प्रत्यर्थीगण उचित आदेश प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में जा सकता है।” सिवाय पहले से पारित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के आदेश के, संबंधित प्रत्यर्थीगण अधिकारियों को सभी तरह से अपने हाथ रोक लेने चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है। विद्वान अति.महा.सा. के हमारे प्रश्न पर, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि उस आदेश के आधार पर रोक प्राप्त हो जाती है, तो प्रत्यर्थीगण के लिए उचित आदेश प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में जा सकते हैं।”

51. श्री माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब उच्चतम न्यायालय ने *होनेया (सुप्रा)* में स्वीकृत किया है “कोई तीसरा पक्ष” पुनरीक्षण के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण शक्तियों को लागू करने के बजाय विद्वान

विचारण न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है, जो कि स्वतः संधार्य योग्य नहीं है।

52. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिल्ली में अधिकारिता केवल इस आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है कि आई.टी. अधिनियम की धारा 131 (1क) के तहत बयान दिल्ली में दर्ज किए गए थे। वह निवेदन करते हैं कि आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही की शुरुआत याचिकाकर्ता की खातों की जांच पर निर्भर है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, मिथ्या आई.टी. विवरणी दाखिल करने के लिए उकसाना, वह भी 4 साल पहले, इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता है कि यह तब तक जारी रहा जब तक कि दिल्ली में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दिए गए कथित झूठे बयान नहीं दिए गए। वह निवेदन करते हैं कि दिल्ली में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर हलफनामों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 4 की कोई भूमिका नहीं है।

53. श्री मोहित माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने शिकायत के पैराग्राफ संख्या 2 का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 27.02.2020 को, जब उद्देश्य प्राप्त हो गया तो सभी साजिश समाप्त हो गई। वही पैराग्राफ संख्या 2 यहां उद्धृत किया गया है:-

“2. दिनांक 27.02.2020 को छत्तीसगढ़ में श्रीमती मीनाक्षी टुटेजा (अभियुक्त संख्या 1 अर्थात श्री अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव, मंत्रालय,

अटल नगर, रायपुर की पत्नी), अभियुक्त संख्या 2, अभियुक्त संख्या 4, 6 और मेसर्स ए डेबर बिल्डकॉन आदि के यहां तलाशी कार्रवाई की गई।”

प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से तर्क

54. प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल त्यागी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर के तर्कों को स्वीकार किया तथापि, निम्नलिखित प्रतिविरोध निवेदित किए।

55. श्री त्यागी, विद्वान अधिवक्ता दं.प्र.सं. की धारा 397 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, यह निवेदन करते हैं कि जब पुनरीक्षण न्यायालय पहले से ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की शुद्धता का परीक्षण करने में व्यस्त है, तो इस न्यायालय को उसी आदेश की जांच करने से बचना चाहिए।

56. विद्वान अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय की समवर्ती शक्तियों के बारे में दं.प्र.सं. की धारा 399 का हवाला देते हुए तर्क दिया है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“399. सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ - (1) ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है।

(2) जहां सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन शुरू की गई है, वहाँ धारा 401 की उपधारा (2), के उपबंध, (3), (4) और (5), के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसी कार्यवाही को लागू होने और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश हैं।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है वहाँ ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस उस सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।”

57. विद्वान अधिवक्ता श्री त्यागी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 के खिलाफ यह अभिकथन है कि अर्जित अवैध धन को प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा एकत्र किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को सौंप दिया गया। उन्होंने यह भी निवेदन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 उससे कोई आय अर्जित नहीं कर रहा था।

58. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 के संबंध में एकमात्र अभिकथन दिनांकित 06.04.2022 के आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 5 में दर्ज है:-

“5. यह पाया गया कि अभियुक्त संख्या 4 से 8, (टूटेजा समूह/परिवार के मित्र/सहयोगी होने के नाते) बेहिसाब नकदी के संग्रह और वितरण का प्रबंधन कर रहे थे।”

59. विद्वान अधिवक्ता श्री त्यागी ने शिकायत के पैरा 81 का हवाला दिया है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 के खिलाफ लगाए गए अभिकथन और धाराएं शामिल हैं। उसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“81 ...इसके अलावा, उक्त अपराधों को अनवर डेबर, नितेश पुरोहित, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, विकास अग्रवाल (कोलकाता में सीए), मंदीप चावला (रायपुर में शैमरॉक होटल के व्यवसायी/मालिक), मेसर्स लिंगराज सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ जैन, वैभव सलूजा (2017 तक शेयरधारक), अशोक कुमार अग्रवाल और गरिमा शर्मा (वर्तमान निदेशक) के साथ-साथ वर्तमान शेयरधारक स्वाति और निशि अग्रवाल ने आयकर अधिनियम की धारा 278 के साथ धारा 120.ख के तहत दुष्प्रेरण दिया और मदद प्रदान की है।”

60. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आयकर अधिनियम की धारा 278 की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को मिथ्या विवरणी दाखिल करने के लिए दुष्प्रेरित किया था।

61. विद्वान अधिवक्ता श्री त्यागी ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निवेदित किए गए अभिकथन कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, कभी भी शिकायत का हिस्सा नहीं थे और निवेदन किया कि याचिकाकर्ता शिकायत में लगाए गए अभिकथन से परे नहीं जा सकता।

62. विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि षडयंत्र का अंत निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक से होता है:-

- i) जब षडयंत्र का उद्देश्य हासिल हो जाता है, तो यह समाप्त हो जाएगा।
- ii) जब इसे छोड़ दिया जाता है, तो यह समाप्त हो जाएगा।
- iii) जब षडयंत्र का पता चलेगा, तो यह समाप्त हो जाएगा।

63. श्री त्यागी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोग प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के वर्ष 2020 से संबंधित छत्तीसगढ़ में कथित अपराधों के लिए व्हाट्सएप चैट की कथित वसूली पर आधारित हैं। इस पर, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि कथित साजिश छत्तीसगढ़ में खोजी गई थी, इसलिए यह प्रत्यर्थी संख्या 5 के लिए ऐसी खोज के साथ समाप्त होती है और दिल्ली तक जारी नहीं रह सकती है।

64. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 छत्तीसगढ़ का एक सामान्य निवासी है और कथित कार्रवाई का कारण वहां उत्पन्न हुआ है, दिल्ली में शिकायत दर्ज करने से प्रत्यर्थी संख्या 5 के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का हनन होगा क्योंकि उसे हर बार दिल्ली की यात्रा करनी होगी।

प्रत्यर्थी संख्या 8 की ओर से तर्क

65. प्रत्यर्थी संख्या 8 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पी. रॉयचौधरी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर की तर्कों को अपनाते हुए निम्नलिखित प्रतिविरोध निवेदित किए हैं।

66. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ कोई आयकर मामला लंबित नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ अभिकथन आई.टी. अधिनियम की धारा 278 और भा.दं.सं. की धारा 120 ख के तहत अपराध के हैं। उन्होंने इस सिद्धांत पर और जोर दिया कि आई.टी. अधिनियम की धारा 278 और धारा भा.दं.सं. की 120ख सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि आई.टी. अधिनियम की धारा 278 के तहत अपराध का घटक प्रलोभन है, जबकि भा.दं.सं. की धारा 120-बी के तहत अपराध का घटक षड्यंत्र है, जो दो अलग-अलग अपराध हैं जिनका कोई सह-संबंध नहीं है।

67. श्री पी. रॉयचौधरी इस न्यायालय का ध्यान पक्षकारों के ज्ञापन की ओर आकर्षित किया है और निवेदन किया है कि आयकर कार्यालय द्वारा आयकर उप निदेशक (इसके बाद "डीडीआईटी" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए शिकायत शुरू की गई थी। शपथ-पत्र डी.डी.आई.टी. के बजाय अतिरिक्त आयकर निदेशक (जांच) द्वारा दायर किया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता पहले रोक

आवेदन आप.वि.आ.10323/2023 को संदर्भित करता है और निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांकित 06.04.2023 के आदेश के आक्षेपित भाग पर रोक आवेदन की प्रार्थना की थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने एक और समरूप रोक आवेदन आप.वि.आ.19314/2023 दायर किया है, जो कानून में अस्वीकार्य है क्योंकि आप.वि.आ.10323/2023 में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है रोक आवेदन के प्रथम दृष्टया तीन तत्व हैं, सुविधा का संतुलन, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति या चोट लगी। इस पर, वह निवेदन करते हैं कि रोक आवेदन से पहले पूर्ववर्ती तीन शर्तों में से किसी के समर्थन में रोक आवेदन में कुछ भी कथित नहीं है।

68. श्री पी. राँयचौधरी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 8 और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कथित व्हाट्सएप चैट के अलावा कुछ भी नहीं है। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 8 को आयकर कार्यालय द्वारा सेवा नहीं दी गई है और आज तक प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ कोई निर्धारण कार्यवाही नहीं हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 8 को कभी भी दिल्ली या छत्तीसगढ़ में नहीं बुलाया गया।

69. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 8 के विरुद्ध शिकायत में एकमात्र अभिकथन पैरा 41 में निहित है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“41. कि श्री. मनदीप चावला उर्फ मेंडी (अभियुक्त संख्या 8) रायपुर का एक व्यापारी है और वह रायपुर में शैमराँक होटल के नाम से होटल चलाता है। वह श्री अनिल टुटेजा (अभियुक्त संख्या 1) का करीबी दोस्त है। श्री मनदीप चावला और श्री यश टुटेजा के बीच कई बार बातचीत हुई है। यह पाया गया है कि श्री मनदीप चावला और श्री यश टुटेजा इनोवा शब्द के माध्यम से लाखों संसंवाद करते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के तहत प्रमाण पत्र के साथ कालानुक्रमिक क्रम में इन चैट के अंश इसके साथ संलग्न हैं अनुबंध-क.ज.।”

70. श्री पी. रॉयचौधरी ने यह निवेदन करते हुए अपने तर्क समाप्त/ स्थापित किए कि प्रत्यर्थी संख्या 8 न तो दिल्ली आया है और न ही उसे आयकर कार्यालय द्वारा समन किया गया है और इस तरह प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

प्रत्यर्थी संख्या 10 की ओर से तर्क

71. प्रत्यर्थी संख्या 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धांत कुमार ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर के तर्कों को स्वीकार किया है, तथापि, निम्नलिखित प्रतिविरोध प्रस्तुत किए हैं।

72. विद्वान अधिवक्ता ने बिलकुल शुरुआत में ही निवेदन किया कि यह न्यायालय, आक्षेपित आदेश के खिलाफ रोक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, केवल वर्तमान मामले के अभियोजन से संबंधित है, न कि अन्य जांच अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे अभियोजन से।

73. वह आगे निवेदन है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न केवल वर्तमान मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की अधिकारिकता तक ही सीमित है और यदि वर्तमान रोक आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि शिकायत को उसके मूल संख्या पर बहाल कर दिया जाएगा। इस पर, श्री कुमार जोरदार तर्क देते हैं कि जब तक इस न्यायालय के पास अधिकारिकता के मुद्दे पर एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं है, जो कार्यवाही की जड़ है, तब तक विद्वान अति.मु.महा.द., घृणित अधीनता में, आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक कि वर्तमान मामले को इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया जाता है।

74. विद्वान अधिवक्ता तर्क के लिए निवेदन करते हैं कि भले ही शिकायत में सभी तथ्यों को यहां प्रत्यर्थागण के खिलाफ मान लिया गया हो, अभियोजन पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वर्तमान आवेदन में कोई आदेश पारित करने का कोई कारण या आवश्यकता नहीं है।

75. श्री कुमार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 18.07.2023 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता प्राधिकरण को सभी तरह से अपने कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया था क्योंकि यहां आरोपित शिकायत को वापस करने के आदेश पर कोई रोक नहीं दी गई थी और वास्तव में, यहां प्रत्यर्थागण के पक्ष में एक सुरक्षा आदेश पारित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही वर्तमान मामले में रोक के लिए

आवेदन करने के लिए आयकर विभाग यानी पूर्ववर्ती अभिकरण को अनुमति दी थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा अपने रोक आवेदन में उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश पर भरोसा किया गया है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा उनके खिलाफ पी.एम.एल.ए. कार्यवाही के खिलाफ की गई चुनौती के संबंध में है। इसलिए, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई कार्यवाही पर रोक लगाने की ऐसी स्वतंत्रता केवल पी.एम.एल.ए. कार्यवाही के संबंध में है, जिसका वर्तमान मामले में आक्षेपित कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है।

76. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा करना इस न्यायालय द्वारा देखे/ अवलोकित, किए गए पृथक्करण को पूरी तरह से मिटाने का कार्य है। पी.एम.एल.ए. कार्यवाही के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने जो माना है, उसका यहां कोई महत्व नहीं है और वर्तमान मामले की स्वतंत्र रूप से इसके गुण और सबूतों पर जांच की जानी चाहिए और जहां आवेदक इस न्यायालय से अंतवर्ती स्तर पर हस्तक्षेप की मांग करता है, वहां टुकड़ों में न्यायनिर्णयन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

77. वह आगे निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण कार्यवाही भी लंबित है, जहां पर विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है, चाहे वह प्रत्यर्थीगण के पक्ष में हो या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, और इस तरह, इस स्तर पर,

वर्तमान आवेदन का पूर्व-न्यायनिर्णयन करना कार्यवाही को स्थगित करना होगा, जिससे प्रत्यर्थागण के अधिकारों और हितों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा। यह आगे निवेदन किया गया है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय जिसके पास वर्तमान में दं.प्र.सं की धारा 397 के तहत कार्यवाही की अधिकारिता है, और मामले को पूर्ण रूप से उचित विचार करने के बाद न्यायनिर्णयन करने तथा कोई भी प्रभावी आदेश को पारित करने की सभी शक्तियां हैं, और यह न्यायालय एक ऐसे मामले का पूर्व-निर्णय करेगा जो उसके समक्ष नहीं है तथा यह न्यायालय ऐसे मामले पर पूर्ण निर्णय करेगा जो उसके समक्ष नहीं है जो वास्तव में एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है। श्री कुमार निवेदन करते हैं कि ऐसी स्थिति, सभी संभावना में, असंगत या विरोधाभासी परिणाम लाएगी और इस तरह, वर्तमान आवेदन/याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे इस न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से एक अंतवर्ती चरण में।

78. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्था संख्या 10 को प्रत्यर्था संख्या 8 के रूप में समान रूप से रखा गया है, जिस पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्हें कोई बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया है और इस तरह, उन्हें षडयंत्र के अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है, वह भी पूर्वव्यापी रूप से, केवल प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 द्वारा याचिकाकर्ता प्राधिकारियों को दिए गए कथित झूठे बयानों के आधार पर। वह

आगे निवेदन करते हैं कि षडयंत्र के अपराध के मूलभूत तथ्य एक ही लेनदेन के हैं, हालांकि, षडयंत्र के आवश्यक तत्वों में से कोई भी जैसे कि एक ही लेनदेन का हिस्सा बनने वाले अपराध या कार्रवाई की निरंतरता, शिकायत में लगाए गए अभिकथनों से संतुष्ट नहीं हैं। इसे तथ्यात्मक रूप से देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 10 प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित नहीं है या उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने, तैयार करने या सत्यापन के साथ, साजिश के कथित अपराध से भी जुड़ा हुआ है, और इस आधार पर, निवेदन करते हैं कि शिकायत इस पहलू पर बहुत गुप्त है।

79. विद्वान अधिवक्ता ने शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा कि दो अन्य समूहों अर्थात् भाटिया समूह और एक श्री विवेक ढांड (सेवानिवृत्त आईएएस, आर.ई.आर.ए. अध्यक्ष के रूप में तैनात) के साथ उनके सहयोगियों को मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के पहलू पर अलग से निपटाया गया/घर्चा की गई है, जिसमें उन्हें आई.टी. अधिनियम की धारा 127 के तहत सेंट्रल सर्कल-08 में केंद्रीकृत किया गया है, नई दिल्ली, श्री अमलोक भाटिया, श्री भूपेन्द्र पाल सिंह भाटिया, श्री प्रिंस भाटिया और श्री विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू (एक साथी) के मामलों को छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय मंडल, बिलासपुर और रायपुर में केन्द्रीकृत किया गया है। इस आधार पर, वह अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों और उनकी अधिकारिता के विभाजन के आधार पर प्रश्न उठाते हैं, जिनके बारे

में कहा जाता है कि वे कथित रूप से एक-दूसरे के साथ गहरी मिलीभगत में काम कर रहे हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी के खिलाफ एकमात्र अधिकारिता का आधार उसके विवरणी का केंद्रीकरण है, और यदि अभियोजन पक्ष के मामले को सच माना जाता है और यदि वास्तव में उक्त समूहों के बीच एक बड़ा षडयंत्र रचा गया था, तो इस तरह के विभाजन का सवाल कहां है और इस तरह की सोच विचार करके चुनना नीति का आधार क्या है, जहां अपराधों के कुछ हिस्सों पर एक साथ एक स्थान पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है, बल्कि अलग-अलग अधिकारिता रखने वाले विभिन्न स्थानों पर मनमाने ढंग से मुकदमा चलाया जाता है।

80. विद्वान अधिवक्ता ने शिकायत में प्रत्यर्थी संख्या 10 के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों के माध्यम से इस न्यायालय को बहुत ध्यान से समझा और निवेदन किया कि उनकी अपनी शिकायत के अनुसार कार्रवाई का कारण दिल्ली के अधिकारिता में उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि इनमें से कोई भी कंपनी दिल्ली में निगमित नहीं हुई है, कथित लेन-देन में से कोई भी दिल्ली में नहीं हुआ है, और इस प्रकार, यह अभिकथन कि प्रत्यर्थी संख्या 10 ने उक्त कंपनियों में शेयर प्रीमियम उत्पन्न करने के लिए साजिश रची है और वास्तविक नियंत्रण टुटेजा समूह के पास है, आयकर अधिनियम की धारा 131(1क) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 10 के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित नहीं है,

जो वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली में मामले के विचारण की मांग करने का एकमात्र आधार है।

81. उन्होंने आगे निवेदन किया कि शिकायत में प्रत्यर्थी संख्या 10 द्वारा 2010 के बाद की गई किसी भी कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है, न ही यह कहा जा सकता है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करने में शामिल है। श्री कुमार ने शिकायत के पैरा 81 का हवाला दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सही आय की रिपोर्ट करना और उस पर कर का भुगतान करना एक ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में अनिवार्य है।

82. यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध अपराध, की गई तलाशी के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 10 पर कभी भी कोई तलाशी नहीं ली गई तथा उसका कोई बयान भी नहीं लिया गया।

83. श्री कुमार ने निवेदन किया कि शिकायत इस कारण से गलत है क्योंकि इसमें आधारभूत तथ्यों को निवेदन करने का प्रयास भी नहीं किया गया है,

तथा प्रत्यर्थी संख्या 10 के विरुद्ध *दुर्भावनापूर्ण* अभियोजन चलाने का केवल एक निर्लज प्रयास किया गया है।

84. वह यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 10 पर उक्त अभियुक्तों को दुष्प्रेरित और सुकर बनाने के लिए अभिकथन वर्ष 2010 के हैं और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 10 के खिलाफ अभिकथन एक ही लेनदेन का हिस्सा कैसे हैं, जो षडयंत्र का अपराध बनता है, सिवाय इस अभिकथन का बहुत ही गूढ़ उल्लेख कि सभी अभियुक्तों ने एक उक्त शिकायत में एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया।

85. श्री कुमार याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई सी.बी.डी.टी. एस.ओ.2914(ड) की अधिसूचना की विधिमान्यता और वैधानिकता पर सवाल उठाते हैं जिसमें यह कथित है कि प्रधान निदेशक/निदेशक या आयकर (अन्वेषण), दिल्ली-1 या प्रधान निदेशक/निदेशक आयकर (अन्वेषण), दिल्ली-2 अध्याय 21 के तहत लगाए जाने वाले दंड और अध्याय 22 के तहत अपराधों और अभियोजन के संबंध में पूर्ण भारतीय अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, यह निवेदन करने के लिए कि न्यायालयों के अधिकारिता की अवधारणा का संपूर्ण आधार, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान किया गया है, उक्त अधिसूचना द्वारा संशोधित करने की मांग की गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि एक अधिसूचना मौलिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर

सकती है कि न्यायालय को अपने समक्ष मामलों की सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीयता स्थापित करनी होगी, जैसा कि दं.प्र.सं. द्वारा प्रदान किया गया है।

86. वह आगे इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित आदेश की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि उक्त अधिसूचना केवल संपूर्ण भारतीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जांच प्राधिकरण की शक्तियों को बढ़ाती है या विस्तार करती है, लेकिन इसका आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता पर जैसे की दं.प्र.सं. की धारा 177 से 189 के अध्याय 13 में निहित है पर कोई असर नहीं पड़ता है। चूंकि किसी अपराध की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण की शक्ति किसी मामले पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकारिता के साथ नहीं है और वैसे भी, आपराधिक न्यायालय के अधिकारिता को बदलने की ऐसी शक्ति सी.बी.डी.टी. में निहित नहीं है।

87. श्री कुमार निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला यह है कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 ने एक-दूसरे के साथ मिलकर (छत्तीसगढ़ राज्य में) रिश्वत, अवैध कमीशन, बेहिसाब पैसा आदि लिया, वसूली का काम अभियुक्त संख्या 4 से 6 और 8 द्वारा उनकी ओर से किया गया था, उसके बाद अभियुक्त संख्या 7 और 10 से 15 की सहायता से, यह बेहिसाब नकदी अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसने बदले में इसे या तो रखा या अभियुक्त संख्या 2 और

अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले ब्यूटी सैलून व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिया। विद्वान अधिवक्ता व्यख्या करते हैं कि इनमें से कोई भी कार्य दिल्ली के क्षेत्र में नहीं हुआ था। आपराधिक षडयंत्र दिल्ली में नहीं रची गया था; सबूतों को नष्ट करना दिल्ली में नहीं किया गया था; कर का जानबूझकर वंचन या आयकर विवरणी का गलत सत्यापन दिल्ली में नहीं हुआ; दिल्ली में या दिल्ली से उपरोक्त अपराधों का कोई दुष्प्रेरण नहीं किया गया था; दिल्ली में कोई मौद्रिक लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया था। इस आधार पर, श्री कुमार ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के पास कोई आधार नहीं है और आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से तर्क

88. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन ने वर्तमान याचिका में पक्षकार बनने के लिए आप.वि.आ. संख्या 19972/2023 के साथ वर्तमान अभियोग आवेदन इस आधार पर निवेदित किया है, कि छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांकित 16.05.2023 के आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया था और छत्तीसगढ़ राज्य को नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य को एक आवश्यक पक्ष बनाया गया है।

89. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 18.07.2023 को जब आदेश पारित किया गया था, तब छत्तीसगढ़ राज्य उपस्थित हुआ था। श्री कृष्णन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिकारिता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए आई.टी. अधिनियम की धारा 280 ख पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“280ख. विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, -

(क) इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा, यदि इस प्रकार अभिहित किए गए हों, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या मामलों या वर्ग या मामलों के समूह के लिए, जैसा भी मामला हो, विचारणीय होगा, जिसमें अपराध किया गया है:

बशर्ते कि धारा 292 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय हो -

(i) जिसे इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है, यह अपने समक्ष अपराधों या ऐसे पदनाम के बाद इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करना जारी रखेगा;

(ii) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में नामित नहीं किया गया है, वह अपने समक्ष लंबित ऐसे अपराध का निपटारा होने तक विचारण जारी रख सकता है;

(ख) एक विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, उस अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसके लिए अभियुक्त विचारण के लिए प्रतिबद्ध है।”

90. श्री कृष्णन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आई.टी. अधिनियम के तहत कथित विभिन्न अपराध और दिल्ली में विचारण की मांग की गई है, सभी छत्तीसगढ़ में दाखिल विवरणी के संबंध में हैं। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में षडयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर झूठे आयकर विवरणी दाखिल करके किए गए कर की कथित वंचना से संबंधित है, और न केवल जांच शुरू करना बल्कि दिल्ली में मुकदमा चलाना सीधे भारत के संघीय ढांचे पर हमला करता है, जो भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

91. श्री कृष्णन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इस वर्तमान मामले में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा हस्तक्षेप का कारण जांच को प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित करने का अत्यधिक खतरा है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अधिकारिता वहीं रहेगी जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और जांच का प्रशासनिक हस्तांतरण वैधानिक प्रावधान को विस्थापित नहीं कर सकता है, जिसके आधार पर न्यायालय किसी विशेष मामले पर विचार करेगी और न्यायनिर्णयन करेगी ।

92. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि शिकायत में लगाए गए अभिकथन उन अधिकारियों के संबंध में हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में सेवा की है या सेवा कर रहे हैं। वह शिकायत के पैराग्राफ 3, 6, 10 और 14 का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये सभी अभिकथन कथित सरकारी

कार्यों के संदर्भ में हैं। उन्होंने आगे शिकायत के पैरा 72 का हवाला देते हुए कहा कि बागवानी और कृषि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ को शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य सरकारी कर्तव्य के दौरान या सरकारी कर्तव्य के बहाने में या सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के तहत किया गया था। इसलिए दंडात्मक अपराधों, विशेष रूप से धारा भा.दं.सं. की धारा 120ख के संबंध में, याचिकाकर्ता को अनिवार्य मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और न ही हो सकता था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वीकृति न तो मांगी गई थी और न ही दी गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2010 की आपराधिक अपील संख्या 2417 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांकित 15.06.2023 के निर्णय को संदर्भित किया जिसका शीर्षक है **ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 900।** में संप्रकाशित है प्रासंगिक विश्वसनीय भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

“42. डी. देवराज बनाम ओवैस सबीर हुसैन में, इस न्यायालय ने समझाया कि मंजूरी न केवल सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए आवश्यक/ है, बल्कि सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में किए जाने वाले किसी भी कार्य और या ऐसे कर्तव्य या अधिकार को करने या उल्लंघन के तहत किए गए कार्य के लिए भी आवश्यक है। इस न्यायालय ने यह भी माना कि यह तय करने के लिए कि क्या मंजूरी आवश्यक है, परीक्षण यह है कि क्या अधिनियम सरकारी कर्तव्य से पूरी तरह से असंबद्ध है या क्या सरकारी कर्तव्य के साथ उचित संबंध है।”

93. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 और धारा दं.प्र.सं. की 482 के तहत प्रदत्त शक्ति इस न्यायालय को विद्वान सत्र न्यायालय की अधिकारिता को बाधित करने के लिए अधिकृत या सशक्त नहीं करती है, जो संशोधन के अधीन है, जब तक कि कोई असाधारण स्थिति न हो। उन्होंने आगे निवेदन किया कि कानून विचारण न्यायालयों और उच्च न्यायालय के समक्ष समानांतर कार्यवाही को एक साथ संचालित करने का समर्थन नहीं करता है।

94. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभियोग की मांग करने वाले आवेदन में उठाए गए आगे के प्रतिविरोधों को संदर्भित किया है।

याचिकाकर्ता का खंडन

95. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज़ोहेब हुसैन ने खंडन करते हुए न्यायपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से विस्तृत लिखित निवेदन सौंपे थे। इसके अनुसरण में, विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर रोक आवेदनों के न्यायनिर्णयन के लिए अपने तर्कों को सीमित करने की अनुमति मांगी थी। तदनुसार, उन्होंने अतिरिक्त प्रतिविरोधों के साथ पहले से किए गए तर्कों को दोहराते हुए अतिरिक्त तर्कों की शुरुआत की, जो इस प्रकार हैं:-

95.1 प्रत्यर्थागण के इस प्रतिविरोध के संबंध में कि चूंकि उसी आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पहले से

ही सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए वर्तमान याचिका पर आगे बढ़ने से परस्पर विरोधी राय की संभावना हो सकती है, उन्होंने निवेदन किया कि यदि दो परस्पर विरोधी राय हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण विद्वान सत्र न्यायालय के दृष्टिकोण से अधिक प्रबल होगा। इसलिए सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका का लंबित होना किसी भी तरह से इस माननीय न्यायालय को वर्तमान याचिका पर सुनवाई करने और निर्णय लेने से नहीं रोकता है।

95.2 श्री हुसैन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जहां तक कि उक्त आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 और अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 द्वारा किए गए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191 के तहत अपराधों का संज्ञान लेता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए इस माननीय न्यायालय का रुख किया है, क्योंकि उसने धारा 276ग(1)/278 के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं लिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278ख/278ड़ और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख/199/200/204 इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और वर्तमान याचिका द्वारा प्राथमिकता दी गई पुनरीक्षण याचिका की शिकायत और कार्रवाई

का कारण अलग-अलग हैं। इसके अलावा **एल.एन. मुखर्जी बनाम मद्रास राज्य (1962) 2 एससीआर 116**, में संप्रकाशित किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जिस न्यायालय को षड्यंत्र के अनुसरण में किए गए अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता है, वह षड्यंत्र के अपराध का विचारण कर सकता है, भले ही वह उसके अधिकारिता से बाहर किया गया हो। वह उक्त निर्णय के निम्नलिखित उद्धृण पर भरोसा करता है:-

“2. इस अपील में विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कलकत्ता में कथित रूप से किए गए षड्यंत्र के अपराध की सुनवाई मद्रास में सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

3. हमने इस दिन को पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम भारत पश्चिम बंगाल राज्य में अभिनिर्धारित किया है। कि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय भी उस षड्यंत्र के अनुसरण में किए गए अपराधों का विचारण कर सकता है, भले ही वे अपराध उस न्यायालय की अधिकारिकता से बाहर किए गए हों, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, जो उस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराध के विचारण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो। तर्क की समानता पर, साजिश के अनुसरण में किए गए अपराधों की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाली न्यायालय साजिश के अपराध की कोशिश कर सकती है, भले ही वह उसके अधिकारिकता से बाहर किया गया हो। इसलिए हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपील के तहत आदेश सही है और तदनुसार, इस अपील को खारिज करते हैं।”

95.3 वह निवेदन करते हैं कि मामले और मूल्यांकन अभिलेख, अभियुक्त संख्या 1-3 के बयानों के अभिलेख सहित सभी सबूत दिल्ली में हैं। संबंधित जांच अधिकारी का कार्यालय, जिसे न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देना अपेक्षित होगा, दिल्ली में स्थित है। यदि याचिकाकर्ता को अब किसी अन्य अधिकारिकता की न्यायालय के समक्ष एक शिकायत पेश करने और वहां सभी सबूत पेश करने की आवश्यकता है और उसके बाद, यह माननीय न्यायालय वर्तमान याचिका की अनुमति देता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से दो अलग-अलग स्थानों में दो अलग-अलग न्यायालयों में साक्ष्य निवेदित करने की आवश्यकता होती है। इससे जुड़ी लागत को अनावश्यक रूप से जनता को वहन करना होगा। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि सुविधा का संतुलन आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में होगा। इसके अलावा, यदि आक्षेपित आदेश के संचालन पर इस तरह की रोक लगाई जाती है, तो राजस्व को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

96. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हुसैन ने भी छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसके लिए आवेदन पत्र संख्या आप.वि.वा. संख्या 19972/2023 अंकित है, तथा लिखित प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई हैं, जो नीचे उद्धृत हैं: /

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हुसैन ने आवेदन पत्र संख्या आप.वि.अ. संख्या 19972/2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने करने पर गंभीर आपत्ति उठाई हैं, जो नीचे उद्धृत हैं:-

- “66. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जिसे शिकायत में अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया है, उसे एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है या शिकायत को अभिखंडित करने की मांग नहीं की जा सकती है (देखें *हुकुम चंद गर्ग बनाम यूपी राज्य वि.अनु.या. (आप) संख्या 762/2020; जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी, (1991) 3 एससीसी 756 पैरा 25-26*) इसके अलावा, एक बिलकुल अजनबी जिसकी किसी मामले के परिणाम में कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हिस्सेदारी नहीं है, वह मामले में पक्षकार नहीं हो सकता है क्योंकि न तो दं.प्र.सं और न ही कोई अन्य कानून इसके लिए प्रदान करता है (देखें *सिमरनजीत सिंह मान बनाम भारत संघ, (1992) 4 एससीसी 653 उर्फ पैरा 7*)।
67. कृषि आय से भिन्न आय पर कर संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-//संघ सूची की प्रविष्टि 82 के अंतर्गत आता है और इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपराध और इसका अभियोजन अनन्य रूप से आयकर विभाग में निहित है। यदि राज्य सरकार आयकर अभियोजनों में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया

का उपयोग करती है तो यह स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

68. इस मामले में एकमात्र सीमित मुद्दा यह है कि क्या शिकायत में बताए गए तथ्य, जब निर्विवाद रूप से यह प्रदर्शित किया जाएगा कि विद्वान् विचारण न्यायालय के पास पूरी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय अधिकारिता थी और इसलिए आक्षेपित मुद्दों के कुंज में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य अपने अभियोग आवेदन के माध्यम से पेश करना चाहता है।
69. उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निवेदन किया जाता है कि दं.प्र.सं. की धारा 197 के तहत मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिकायत में लगाए गए अभिकथनो से पता चलता है कि यह सरकारी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। अच्छी तरह से व्यवस्थित है कि दं.प्र.सं. की धारा 197 में लोक सेवक द्वारा किए गए हर कार्य या चूक के लिए अपने सुरक्षात्मक कवर का विस्तार नहीं करती है, बल्कि इसके संचालन के दायरे को केवल उन *कार्य या चूक* लोगों तक सीमित करती है जो सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में एक लोक सेवक द्वारा किए जाते हैं। इसलिए जिस कार्य या चूक के लिए अभियुक्त पर अभिकथन लगाया गया था उसका उसके निर्वहन या कर्तव्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए, ताकि धारा 197 लागू हो सके। (देखें

एचबीबी गिल और एन.आर. बनाम द किंग ए.आई.आर. (1948) पी.सी. 128; फर्नांदो चंद्र नियोगी बनाम द किंग ए.आई.आर. (1949) पी.सी. 117; रोनाल्ड वुड मैथम्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 1954 एससीसी पैरा 11 में; कालीचरण महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य, (1998) 6 एस.सी.सी. 411 पैरा 13 में; सेना मुख्यालय बनाम सी.बी.आई., (2012) 6 एस.सी.सी. 228 पैरा 42 में; चौधरी परवीन सुल्ताना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2009) 3 एस.सी.सी. 398 पैरा 18-21 में; बिहार राज्य और अन्य बनाम पी.पी. शर्मा (1992) पूरक 1 एस.सी.सी. 222 पैरा 64-65 में; पंजाब राज्य भंडारण निगम/वेयरहोउस कॉर्पोरेशन बनाम भूषण चंदर (2016) 13 एस.सी.सी. 44 पैरा 20 में।”

विश्लेषण और निष्कर्ष:

97. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अति.महा.सा. श्री एस.वी. राजू, श्री मुकुल रोहतगी, श्री दयान कृष्णन, श्री एन. हरिहरन, श्री मोहित माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा शेष प्रत्यर्थागण के लिए अन्य विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निवेदित तर्क सुने हैं। उनकी सक्षम सहायता से, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन कराया गया।

98. पक्षों की सहमति से, दिनांकित 31.07.2023 के आदेश के अनुसार, केवल रोक आवेदन के संबंध में तर्कों पर विचार किया जा रहा है। दिनांकित 31.07.2023 के उक्त आदेश का उद्धरण नीचे दिया गया है:

“1. श्री एस.वी. राजू, विद्वान अति.महा.सा. अनुरोध करते हैं कि वर्तमान याचिका में की गई चुनौती के संबंध में दिनांकित 06.04.2023 के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन को पहली बार में लिया जाए।

2. प्रत्यर्थागण की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है कि आवेदन मुख्य याचिका से पहले सुनवाई के लिए लिया जाता है।”

99. हालांकि सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ-साथ अभिलेख पर अन्य विद्वान अधिवक्तागण ने मामले के प्रत्येक पहलू पर कई तारीखों पर लंबी बहस की थी, हालांकि, चूंकि यह न्यायालय इस समय विद्वान अति.मु.महा.द. (विशेष अधिनियम) द्वारा पारित दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन से संबंधित है, जिसके अनुसार उक्त विद्वान अति.मु.महा.द. ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278ख/278ड के साथ पठित दं.प्र.सं. की धारा 276ग(1)/278 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में शिकायत को सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को वापस कर दिया था, इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों को पूर्ण रूप को विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना

पर्याप्त है। कि उपरोक्त रोक आवेदन के प्रयोजनों के लिए केवल प्रासंगिक तथ्यों सहित तर्कों और कानून के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

100. रोक आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए परीक्षा और विचार संकीर्ण और सीमित है। इसमें, इस न्यायालय को निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लेना है:-

- i. क्या प्रत्यर्थागण को पूर्व-संज्ञान चरण में विद्वान अति.मु.महा.दा. के समक्ष उपस्थित होने और तर्कों को संबोधित करने या तथ्यों या कानून पर किसी भी मुद्दे को उठाने का कोई अधिकार था?
- ii. क्या षड्यंत्र के मुद्दे को साक्ष्य के समय विचारण के दौरान ही सिद्ध अथवा अप्रमाणित किया जा सकता है?
- iii. क्या याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने के लिए मामला बनाया है?

101. पूर्वोक्त मुद्दे (i) के मूल्यांकन के लिए, इस न्यायालय को निर्धारित कानून पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से **चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र ए.आई.आर.** 1963 एस.सी. 1430 ; **नागवा बनाम वी.एस. कोंजाल्गी** (1976) 3 एस.सी.सी. 736; **मनहारीभाई मुलजीभाई काकड़िया बनाम शैलेशभाई मोहनभाई पटेल** (2012) 10 एस.सी.सी. 517 ; **मीनाक्षी जैन बनाम राज्य** (2012) 194 डी.एल.टी. 745 ; **अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल** (2004) 7 एस.सी.सी. 33, जो इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ के रि.या.(आप)

2864/2019 में दिए गए निर्णय में संक्षेप में दिए गए हैं। जिसका शीर्षक **महुआ मोड़रा बनाम राज्य, 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 10666** में संप्रकाशित किया गया। संबंधित पैरा नीचे उद्धृत हैं:-

“23. मैंने परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है। विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष एक शिकायत मामले में पूर्व-सम्मन चरण में भावी अभियुक्त द्वारा हस्तक्षेप के बिंदु पर कानून माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। “चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र, (1964)1 एस.सी.आर. 639” शीर्षक वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है;

“7. प्रथम आधार पर, हमें दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 की संपूर्ण योजना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रक्रिया जारी होने तक कोई भी अभियुक्त व्यक्ति परिदृश्य में नहीं आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब दंडाधिकारी द्वारा जांच की जाती है तो उसे उपस्थित होने से रोक दिया जाता है। वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित रह सकता है ताकि यह सूचित किया जा सके कि क्या हो रहा है लेकिन चूंकि विचार के लिए सवाल यह है कि क्या वह किसी अभियोग का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए, उसे कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है और न ही दंडाधिकारी के पास उसे ऐसा करने की अनुमति देने की कोई अधिकारिता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि दंडाधिकारी के लिए यह स्वतंत्र नहीं होगा कि वह अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति के कहने पर गवाहों से कोई प्रश्न पूछे, लेकिन जिसके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं की गई है, न ही वह ऐसे व्यक्ति के कहने पर किसी गवाह की जांच कर सकता है... अभियुक्त के पास जो भी बचाव हो, उसकी जांच केवल विचारण

के दौरान ही की जा सकती है। धारा 202 के तहत जांच को किसी भी तरह से विचारण के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कानून में एक अपराध के लिए केवल एक ही मुकदमा हो सकता है। किसी अभियुक्त व्यक्ति को जांच के दौरान हस्तक्षेप करने की अनुमति देना उसके मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और इसीलिए विधायिका ने किसी अभियुक्त व्यक्ति को जांच में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है।”

(जोर दिया गया)

24. उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जांच के दौरान किसी अभियुक्त को हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से उसका मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा और इसीलिए विधायिका ने इस आशय का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है।

25. “नागावा बनाम वीएस कौजालगी, (1976) 3 एससीसी 736” नामक एक अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 202 या धारा 204 के स्तर पर, भावी अभियुक्त का सुने जाने का अधिकार नहीं है और दंडाधिकारी के पास जो भावी अभियुक्त द्वारा पेश की जा सकती है। किसी भी सामग्री या साक्ष्य को पता लगाने की अधिकारिता नहीं है

26. इसी प्रकार “चित्रा नारायण बनाम एनडीटीवी, (2004) 72 डीआरजे 547” मामले में इस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि समन जारी करने से पहले के चरण में जब तक कोई व्यक्ति विद्वान् महानगर दंडाधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने के बाद अभियुक्त नहीं बन जाता, उसे दं.प्र.सं. की धारा 202 के तहत कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

27. “मनहारीभाई मूलजीभाई काकड़िया बनाम शैलेशभाई मोहनभाई पटेल, (2012) 10 एस.सी.सी. 517” के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है;

“46. कानूनी स्थिति काफी हद तक स्थापित है कि धारा 202 के तहत कार्यवाही में अभियुक्त/संदिग्ध को इस सवाल पर सुनवाई का अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं। कानून के अनुसार, प्रक्रिया जारी करने के चरण तक, अभियुक्त सुनवाई के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है..”

28. इसी प्रकार “अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल, (2004) 7 एस.सी.सी. 33” में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है;

“14... इनमें से किसी भी चरण में संहिता ने सम्मनित अभियुक्त की सुनवाई का प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि यह केवल एक प्रारंभिक चरण है और अभियुक्त की सुनवाई का चरण संहिता में बाद के प्रावधान में दिए गए बाद के चरण में ही उत्पन्न होगा। यह सच है जैसा कि इस न्यायालय ने मैथ्यू के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था, समन जारी करने से पहले दंडाधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, लेकिन यह संतुष्टि उसके द्वारा की गई जांच से पहुंचनी है, जैसा कि धारा 200 और 202 के तहत विचार किया गया है, और शिकायत को खारिज करने का एकमात्र चरण संहिता की धारा 203 के तहत आता है, जिस चरण में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए, अभियुक्त द्वारा समन प्राप्त होने पर न्यायालय का रुख करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर पुनर्विचार के लिए संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन करने का सवाल अस्वीकार्य है क्योंकि तब तक

धारा 203 पहले ही खत्म हो चुकी है और दंडाधिकारी धारा 204 चरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं।

29. "मीनाक्षी जैन बनाम राज्य, (2012) 194 डी.एल.टी. 745" में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, अभियुक्त/प्रत्यर्थी या संभावित अभियुक्त को समन जारी होने से पूर्व या समन जारी होने तक कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसे विद्वान दंडाधिकारी द्वारा सुने जाने के अधिकार को आक्षेपित करने का अधिकार नहीं है। "

102. उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून की जांच और मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट है कि जहां तक अभियुक्त व्यक्ति का संबंध है, जब तक कि उसे आपराधिक न्यायालयों द्वारा समन किया गया नहीं किया जाता है, तब तक उसे दंडाधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रवेश करने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि जब तक अपराध का संज्ञान लिया जाता है, तब तक अभियुक्त ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पहचान इस रूप में की गई हो, जिससे उसे सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त हो, सिवाय इस तथ्य के कि यह संभव है कि दं.प्र.सं. की धारा 202 के तहत प्रारंभिक जांच के बाद भी दंडाधिकारी अभियुक्त को बुलाए बिना शिकायत को खारिज कर सकता है। यहां तक कि **मोहुआ मोइत्रा** के मामले में इस न्यायालय ने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए दृढ़तापूर्वक निष्कर्ष निकाला है कि संभावित अभियुक्त कार्यवाही को रोक नहीं सकता है।

103. वर्तमान मामले में, विद्वान अति.मु.महा.द. ने न केवल प्रत्यर्थी संख्या 8/अभियुक्त संख्या 8 की ओर से विस्तृत तर्कों को सुना, बल्कि वास्तव में अपने दिनांकित 01.11.2022 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और फिर भी, आवेदक/अभियुक्त संख्या 8 द्वारा शिकायत की रोक और ऐसी शिकायत पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के संबंध में उठाए गए तर्कों/प्रतिविरोधों को उचित चरण में विचार के लिए बरकरार रखा। दिनांकित 01.11.2022 के आदेश का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

"01.11.2022 शाम 4 बजे.

उपस्थित:- शिकायतकर्ता के लिए श्री मनमीत सिंह अरोड़ा, विद्वान् वि.लो.अभि।

आवेदक के लिए कोई नहीं।

प्रस्तावित अभियुक्त संख्या 8 मंदीप चावला की ओर से दं.प्र.स. की धारा 202 और 203 के तहत एक आवेदन निपटारे के लिए लंबित है। आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए दायर किया गया था कि (i) इस न्यायालय में वर्तमान शिकायत पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है, (ii) दं.प्र.स. की धारा 202 के तहत जांच अनिवार्य है, (iii) भा.दं.सं. से संबंधित अपराधों का संज्ञान अस्वीकार किया जाता है क्योंकि वे एक ही कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं जो आयकर अधिनियम के तहत अपराध को बनाने का खुलासा कर सकते हैं, (iv) मौजूदा दिनांकित 09.09.2019 सी.बी.डी.टी. परिपत्र का उल्लंघन और (v) वर्तमान रूप में शिकायत पोषण के योग्य नहीं है। आवेदक ने "बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पी.पी. शर्मा, आईएस एवं अन्य 1991 एआईआर 1260" के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप कर सकता है और कार्यवाही के इस चरण में उसकी बात सुनी जानी चाहिए।

आवेदक द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रतिविरोध पर शिकायतकर्ता द्वारा विस्तृत, पैरावार उत्तर दाखिल किया गया है और इसके अतिरिक्त, हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा नूपुर तलवार बनाम सीबीआई और अन्य, पुनर्विलोकन अर्जी (आप.) 85/2012 मेसर्स केमिनोवा इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य आप.अपील संख्या 749/2021 दिनांक 04.08.2021 को तय, चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस और अन्य 1963 ए.आई.आर. 1430 और ए- वन ग्रेनाइट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य अपील (सिविल) 6459/1998 आदि।” के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि आवेदन को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इस आवेदन पर तर्कों को विस्तार से सुना गया। अभिलेख पर रखी गई पूरी सामग्री का अध्ययन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा तर्क किए गए प्रत्येक मुद्दे पर गहराई से विचार करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इसके अलावा, पक्षों के प्रतिद्वंद्वी अधिवक्तागण द्वारा उद्धृत किए गए निर्णयों की अधिकता पर चर्चा करना भी लाभदायक नहीं है।

इस समय, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पी.पी. शर्मा (पूर्वोक्त) में शीर्ष न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी पर ध्यान देना उपयुक्त होगा:-

.....केवल इसलिए कि जांच अधिकारी वास्तविक कार्य करते हुए कुछ दस्तावेजों को अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देता है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि उसने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है। जांच अधिकारी द्वारा निवेदित पुलिस रिपोर्ट को संज्ञान लेने के चरण में दंडाधिकारी की न्यायिक जांच से गुजरना पड़ता है। हालांकि अभियुक्त व्यक्ति को उस चरण में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यदि अभियुक्त व्यक्ति को जांच अधिकारी या जांच की विधि के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह दंडाधिकारी के ध्यान में अपनी शिकायतें ला सकता है। जिस पर दंडाधिकारी द्वारा जाँच की जा सकता है।

शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी को सहज रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि आवेदक को कार्यवाही के इस चरण में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है (जब उसे समन जारी नहीं किया गया है)। एकमात्र सीमित पहलू जिस पर आवेदक को सुना जा सकता था, वह शिकायतकर्ता के खिलाफ उसकी शिकायत थी कि शिकायतकर्ता दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है और देश के कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आवेदक के अधिवक्ता को आवेदन में उठाए गए सभी आधारों पर विस्तार से सुना गया था। आवेदक द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्क (अधिकारिता से संबंधित, प्रक्रिया, पोषणीयता, पूर्वाग्रह और परिपत्रों का उल्लंघन आदि) पर ध्यान दिया जाता है और कार्यवाही के उचित चरण में उन पर विचार किया जाएगा। आवेदन खारिज किया जाता है क्योंकि आवेदक के पास दं.प्र.सं. की धारा 202 और 203 के तहत वर्तमान आवेदन को सुने जाने का अधिकार नहीं है (इस संबंध में नुपुर तलवार बनाम सीबीआई और अन्य (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैरा 19 पर भरोसा किया जाता है)।

दिनांक 01.08.2022 के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता के ए.आर. की जांच के लिए मामले को 02.12.2022 को सूचीबद्ध करें।”

(उल्लेखित जैसा दिया है)

104. **मोहुआ मोइत्रा** और अन्य मामलों में दिए गए भाव को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि विद्वान अति.मु.महा.द. ने न केवल आवेदन पर विचार करके बल्कि प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्ति की ओर से विस्तृत तर्कों को सुनकर प्रक्रिया में गंभीर अवैधता और अनियमितता की है, जबकि उस समय संज्ञान लिया जाना बाकी था। दूसरे शब्दों में, विद्वान

अति.मु.महा.द. ने न केवल प्रक्रियागत अनियमितता की है, बल्कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा घोषित कानून का भी उल्लंघन किया है।

105. प्रत्यर्थी 1, 2 और 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में तथ्यों पर काफी विस्तार से तर्क दिया था कि क्या दिल्ली में अति.मु.महा.द. का कोई क्षेत्रीय अधिकारिता था, क्या षडयंत्र उत्पन्न हुई थी या नहीं, और क्या वर्तमान मामले में कोई असाधारण या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, जो याचिकाकर्ताओं को दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय का रुख करने का अधिकार देती हैं। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पूर्वोक्त तर्क, हालांकि पहली नज़र में बहुत आकर्षक हैं, हालांकि, पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित भाव द्वारा बनाए गए प्रतिबंध या रोक को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। यदि यह न्यायालय **चंद्र देव सिंह (पूर्वोक्त)** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए अनुपात का पालन करता, तो प्रत्यर्थीगण/अभियुक्त व्यक्तियों का अधिकार क्षेत्र ही स्वयं में संदिग्ध हो जाता है और इसलिए विद्वान अति.मु.महा.द. के लिए किसी भी तर्क पर विचार करने का कोई अवसर नहीं हो सकता था। इसका यह अर्थ नहीं है कि विद्वान अति.मु.महा.द. को प्रथम दृष्टया शिकायत की विषय-वस्तु पर विचार करने और प्रक्रिया जारी करने के लिए मामला बनता है या नहीं, इस बारे में राय बनाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि, वर्तमान मामले में विद्वान अति.मु.महा.द. ने उपरोक्त भाव को नजरअंदाज कर दिया है।

106. हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अति.मु.महा.द. ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, हालांकि, क्षेत्रीय अधिकारिकता और साजिश जैसे मुद्दों पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गलत तरीके से निर्देशित किया गया है, जो इस न्यायालय की राय में ऐसे पहलुओं पर सबूत के बिना नहीं पहुंचा जा सकता था। इस न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 187 तक दं.प्र.सं. की धारा 177 की सरसरी तौर पर जांच की है, और यह देखा है कि दं.प्र.सं. स्वयं मामला-दर-मामला आधार पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अधिकारिकता के विभिन्न स्थानों का प्रावधान करता है। दं.प्र.सं. की धारा 178 के प्रावधानों पर विचार करना प्रासंगिक होगा, जिससे अपराध के संबंध में विभिन्न स्थितियां, चाहे वह जहां हो उक्त अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे (क्षेत्र) में किया गया हो या, जहां अपराध जारी है और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है या जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है। इसी प्रकार, अन्य धाराएं भी ऐसे विभिन्न अधिकारिता में दंडाधिकारियों को साथ-साथ शक्ति प्रदान करती हैं, बशर्ते कि पूर्वोक्त धाराओं में निहित कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न हो। दं.प्र.सं. की धारा 220 का भी यही प्रभाव होगा। इस न्यायालय को उपरोक्त के रूप में निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करने वाले आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहां दिया गया है:

“...अभियोजन का पूरा मामला यह है कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 ने मिलिभगत करके (छत्तीसगढ़ राज्य में) रिश्वत, अवैध कमीशन, बेहिसाब पैसा आदि लिया, वसूली का काम अभियुक्त संख्या 4 से 6 और 8 द्वारा उनकी ओर से किया गया था, उसके बाद अभियुक्त संख्या 7 और 10 से 15 की सहायता से, यह बेहिसाब नकदी अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसने इसे या तो अपने पास रख लिया था या उसे अभियुक्त नंबर 2 और अभियुक्त नंबर 1 की पत्नी के स्वामित्व वाले ब्यूटी सैलून व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिया था। इनमें से कोई भी कार्य दिल्ली के क्षेत्र में नहीं हुआ था। आपराधिक षडयंत्र दिल्ली में नहीं रचा गया था, दिल्ली में साक्ष्य नष्ट नहीं किए गए थे, जानबूझकर कर-वचन अथवा आयकर विवरणियों का मिथ्या सत्यापन दिल्ली में नहीं किया गया था। दिल्ली में या दिल्ली से उपरोक्त अपराधों का कोई दुष्प्रेरण नहीं किया गया था। दिल्ली में कोई मौद्रिक लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया था। इन अपराधों के संबंध में अधिकारिकता या तो कोलकाता या रायपुर या भिलाई या छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर है जहां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साजिश को अंजाम दिया गया था। इन अपराधों के संबंध में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की शिकायत मूल रूप में वापस की जाती है और शिकायतकर्ता इसे समक्ष न्यायालय के समक्ष निवेदन कर सकते हैं।....”

107. इस प्रकार, जहां तक मुद्दे (i) का संबंध है, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि प्रत्यर्थागण के पास संज्ञान-पूर्व चरण में आवेदन दायर करने या क्षेत्रीय अधिकारिता, षडयंत्र या पक्षपात आदि के बारे में कोई आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार, विद्वान दंडाधिकारी ने उक्त आवेदन पर विचार करके और ऐसी आपत्तियों पर तर्कों को बरकरार रखते हुए तथा आक्षेपित आदेश के अनुसार उन पर विचार करके, भौतिक अनियमितता के

साथ कार्य किया है, जिसके कारण दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करना आवश्यक हो गया है।

(ii) क्या षड्यंत्र का मुद्दा एक ऐसा तथ्य है जिसे केवल साक्ष्य के समय विचारण के दौरान ही सिद्ध अथवा अप्रमाणित किया जा सकता है?

108. सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा विस्तार से तर्क दिए गए षड्यंत्र के मुद्दे के संबंध में, यह न्यायालय यह मानता है कि विद्वान अति.मु.महा.द. ने फिर से कुछ टिप्पणियां करने के लिए बहुत विस्तार से तर्क सुने थे, जो इस न्यायालय की राय में निर्णायक थे।

109. इस मुद्दे को समझने के लिए यह न्यायालय **पुरुषोत्तमदास डालमिया (पूर्वोक्त)** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच करता है और विवाद के संबंध में प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

“10. भा.दं.सं. की धारा 210 के तहत आपराधिक साजिश के अपराध की सुनवाई करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता विवादित नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि साजिश के अनुसरण में किए गए प्रत्यक्ष कार्य उसी लेन-देन के दौरान किए गए थे जिसमें साजिश और उसके तहत किए गए कार्य शामिल थे। हालांकि, अपीलकर्ता के लिए यह प्रतिविरोध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के अनुसार, साजिश के अपराध की सुनवाई करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय ऐसे प्रत्यक्ष कार्यों से गठित अपराध की सुनवाई नहीं कर सकता है जो उसकी अधिकारिता से बाहर किए गए हों और इसके लिए जीवन बनर्जी बनाम राज्य के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। यह मामला निस्संदेह अपीलकर्ता के प्रतिविरोध का समर्थन करता है। हमने इस पर सावधानीपूर्वक

विचार किया है और हमारी राय है कि यह सही तरीके से तय नहीं किया गया है।

11. आपराधिक षडयंत्र के अपराध और उसके विचारण में किए गए सभी प्रत्यक्ष कार्यों के लिए एक साथ मुकदमा चलाना वांछनीय है। आपराधिक षडयंत्र के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कार्यों का साक्ष्य दिया जाना चाहिए। ऐसे साक्ष्यों का परीक्षण अभियुक्त की ओर से प्रति-परीक्षण करके किया जाएगा। न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लेना होगा और ऐसे साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि आपराधिक षडयंत्र का अपराध स्थापित हुआ है या नहीं। यह सब करने के बाद, न्यायालय बहुत सरलता से अभियुक्त के संबंध में "दोषी" या "दोषी नहीं" का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने वास्तव में विभिन्न प्रत्यक्ष कार्य किए हैं। यदि कुछ प्रत्यक्ष कार्य आपराधिक षडयंत्र के अपराध की सुनवाई करने वाली न्यायालय की अधिकारिता से बाहर किए गए थे और यदि कानून यह है कि ऐसे प्रत्यक्ष कार्यों की सुनवाई उस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब यह होगा कि या तो अभियोजन पक्ष को उन प्रत्यक्ष कार्यों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने का अपना अधिकार छोड़ना होगा या अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को अनावश्यक परेशानी में डालना होगा क्योंकि अभियोजन पक्ष को एक ही सबूत दूसरी बार पेश करना होगा और अभियुक्त को उस सबूत की विश्वसनीयता को दूसरी बार परखना होगा। अन्य न्यायालय का समय उसी प्रश्न को निर्धारित करने में दूसरी बार खर्च होगा। अन्य न्यायालय के पहले न्यायालय से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने का जोखिम होगा। अन्य न्यायालय में यह भी आग्रह करना संभव हो सकता है कि प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय द्वारा पृष्ठ 422 पर जो कहा गया है, उसके देखते हुए वह अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है:

“प्रीतम सिंह लोहारा को उस अभियोग से बरी करना इस निष्कर्ष के बराबर था कि अभियोजन पक्ष उनके पास रिवॉल्वर

ई.एक्स.टी. पी-56 होने की बात साबित करने में विफल रहा। उस रिवाल्वर का होना मुद्दे में एक तथ्य था जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना था, इससे पहले कि उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके जिसके लिए उन पर अभियोग लगाया गया था। यह तथ्य अभियोजन पक्ष के खिलाफ पाया गया और उपरोक्त लॉर्ड मैकडरमोट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, क्राउन और उनके बीच किसी भी आगे की कार्यवाही में प्रीतम सिंह लोहारा के खिलाफ साबित नहीं किया जा सका।”

12. इन परिस्थितियों में, जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान किसी अन्य अर्थ के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए अर्थ को स्वीकार नहीं करते, उन्हें आपराधिक साजिश के अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय को उस साजिश के अनुसरण में किए गए सभी प्रत्यक्ष कार्यों की सुनवाई करने का अधिकार देने के रूप में समझा जाना चाहिए। हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कोई ठोस कारण नहीं मिला।”

110. पूर्वोक्त निर्णय द्वारा निर्धारित अनुपात/भाव से यह समझा जा सकता है कि साजिश तथ्य का मुद्दा है और विचारण के दौरान प्रमुख साक्ष्य द्वारा पक्षों द्वारा साबित या अस्वीकृत किया जा सकता है और केवल दस्तावेजों या तर्कों का मूल्यांकन करके इसका पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए, संज्ञान लेने के चरण में किसी भी न्यायालय द्वारा इस तरह के मुद्दे पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अभिकथन लगाया है कि दिल्ली में षडयंत्र जारी है, जिसे मुकदमे में परीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है।

111. वर्तमान मामले में, विद्वान अति.मु.महा.द. ने साजिश के बारे में निश्चित रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने की गलती की है। इस मुद्दे का मूल्यांकन करने के लिए, आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:-

“... अभियोजन का पूरा मामला यह है कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 ने एक-दूसरे के साथ मिलकर (छत्तीसगढ़ राज्य में) रिश्वत, अवैध कमीशन, बेहिसाब पैसा आदि लिया, वसूली का काम अभियुक्त संख्या 4 से 6 और 8 द्वारा उनकी ओर से किया गया था, उसके बाद अभियुक्त संख्या 7 और 10 से 15 की सहायता से, यह बेहिसाब नकदी अभियुक्त संख्या 9 के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसने इसे या तो अपने पास रख लिया था या उसे अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी के स्वामित्व वाले ब्यूटी सैलून व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिया था। इनमें से कोई भी कार्य दिल्ली के क्षेत्र में नहीं हुआ था। आपराधिक षडयंत्र दिल्ली में नहीं रचा गया था, दिल्ली में साक्ष्य नष्ट नहीं किए गए थे, जानबूझकर कर वंचन अथवा आयकर विवरणियों का मिथ्या सत्यापन दिल्ली में नहीं किया गया था। दिल्ली में या दिल्ली से उपरोक्त अपराधों का कोई दुष्प्रेरण नहीं किया गया था। दिल्ली में कोई मौद्रिक लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया था। इन अपराधों के संबंध में अधिकार क्षेत्र या तो कोलकाता या रायपुर या भिलाई या छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर है जहां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साजिश को अंजाम दिया गया था। इन अपराधों के संबंध में सभी अभियुक्तों की शिकायत मूल रूप में लौटा दी जाती है और शिकायतकर्ता सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष इसे निवेदित कर सकता है...”

112. ऊपर उद्धरत गए प्रासंगिक हिस्से का एक सरल अवलोकन इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि विद्वान अति.मु.महा.द. ने एक

बार पुनः यह विश्वास करने में गलती की है कि सबसे पहले षडयंत्र कहाँ रचा गया, यह कहाँ, कब और कैसे पनपा और क्या कथित षडयंत्र दिल्ली में संपन्न हुआ या नहीं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त कथित साजिश वास्तव में दिल्ली में नहीं रची गई थी। इसके अलावा, विद्वान दंडाधिकारी ने निश्चित रूप से यह भी निष्कर्ष निकाला था कि षडयंत्र वास्तव में छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया था और उक्त षडयंत्र का कोई भी हिस्सा दिल्ली तक जारी नहीं था। विद्वान अति.मु.महा.द. द्वारा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था और न ही पहुंचना चाहिए था, विशेष रूप से उस चरण में जब अपराधों का संज्ञान लिया जाना था। यदि ऐसा आदेश लागू होता है, तो संज्ञान लेने के चरण में, अभियुक्त को केवल तर्कों से यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि ऐसा कोई भी षडयंत्र नहीं रचा गया था, वह भी बिना किसी सबूत के। यह न केवल **महुआ मोइत्रा (पूर्वोक्त)** में दिए गए उपरोक्त निर्णय के विपरीत होगा, बल्कि कानून के सिद्धांत और प्रक्रिया के भी विरुद्ध होगा। यह बात आम है कि साजिश एक तथ्य का मुद्दा है जिसे केवल विचारण के दौरान ही साबित या अस्वीकृत किया जा सकता है।

113. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि मुद्दे (ii), के संबंध में विद्वान दंडाधिकारी द्वारा निश्चित निष्कर्ष, अर्थात्, वर्तमान मामले में कथित साजिश, कानून के विपरीत है और *प्रथम दृष्टया* टिक सकने वाला है।

114. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से निवेदित तर्कों में एक और गंभीर/प्रगाढ़ त्रुटि यह है कि धारा 276ग(1)/278 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278ख/278ड और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख/199/200/204 के तहत उत्पन्न होने वाले अपराधों पर निर्णय लेने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि उन अपराधों के संबंध में शिकायत का वह हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में दायर करने के लिए वापस कर दिया गया है। यह तर्क न केवल प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रुख के विपरीत है, बल्कि उसे नष्ट करने वाला भी है, जिसने इस आधार पर रोक दिया गया था कि विद्वान अति.मु.महा.द. के पास शिकायत या एक ही लेनदेन से उत्पन्न अपराधों को विभाजित करने का कोई अधिकार, प्राधिकरण या अधिकारिता नहीं थी। यह विद्वान अति.सत्र.नया. के दिनांकित 17.04.2023 के आदेश से स्पष्ट है, जिसे बेहतर स्पष्टता के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

“3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 277 और भा.दं.सं की धारा 191 के अलावा, शिकायतकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 276 (ग)(i)/278/278ड के तहत जो की भा.दं.सं की धारा 120ख/199/200/204 के साथ पठित है एक शिकायत दर्ज की थी और आक्षेपित आदेश के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बाद की धाराओं के लिए उक्त शिकायत

पर विचार करने का उसके पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। नतीजतन, इसने क्षेत्रीय अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष अपनी संस्था के लिए उक्त बाद की धाराओं के तहत शिकायत को वापस करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि विचारण न्यायालय के लिए शिकायत को दो भागों में विभाजित करने का कोई वैध अवसर नहीं था, भले ही, उक्त दोनों भागों में अभिकथन एक ही लेनदेन के संबंध में हों। उन्होंने आगे प्रतिविरोध किया कि शिकायत का पहला हिस्सा, जिस पर विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया था, को भी द्विभाजित हिस्से के साथ वापस कर दिया जाना चाहिए था जिसे वापस करने का निर्देश दिया गया है। **उन्होंने तर्क दिया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक ही कारण/लेनदेन के आधार पर एक ही शिकायत को गैरकानूनी तरीके से विभाजित करके गंभीर गलती की है।**

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रतिविरोध किया है कि याचिकाकर्ता के बयान जो दिनांक 28.09.2020, दिनांक 08.10.2020 और दिनांक 02.02.2021 को अधिनियम की धारा 131 (1क) के तहत डी.डी.आई.टी., इकाई 1(4), दिल्ली के समक्ष दिल्ली में दर्ज किए गए थे, वे अधिनियम की धारा 277 के तहत बताए गए वित्तीय विवरण नहीं थे। उन्हें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धारा के तहत बयान समझ लिया गया। उन्होंने प्रतिविरोध किया है कि चूंकि वे अधिनियम की धारा 277 में निर्धारित वित्तीय विवरण नहीं थे, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने उक्त धारा के तहत अपराध करने के लिए अभियुक्त को समन करने में गंभीर त्रुटि की है। दं.प्र.सं. की धारा 191 के प्रावधानों के संबंध में, उन्होंने प्रतिविरोध किया है कि याचिकाकर्ता के उक्त बयानों को झूठा नहीं माना गया है। उन्होंने आगे प्रतिविरोध किया है कि मूल्यांकन के समापन और कर वंचन के निर्धारण के बाद ही संबंधित आयकर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि उक्त बयान झूठे हैं या नहीं। उन्होंने आगे यह भी प्रतिविरोध किया है कि उक्त कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है और इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 191 को लागू करना, समयपूर्व है। इसलिए, इस स्तर पर, विचारण न्यायालय के लिए यह मानने का कोई वैध कारण नहीं

है कि याचिकाकर्ता द्वारा भा.दं.सं की धारा 191 के तहत अपराध किया गया है। इन निवेदनों के साथ, उन्होंने आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की मांग की है। धारा 191 के तहत अपराध किया गया है। इनके साथ उन्होंने आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग की है।

(जोर दिया गया)

115. किसी भी पक्षकार को एक ही सांस में समर्थन और निन्दा करने अथवा परस्पर विनाशकारी अभिवचन देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग रुख अपना रहे हैं, जो कानून में अनुचित है।

116. रोक आवेदन के संबंध में तर्कों के समापन पर, श्री हरिहरन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अवगत कराया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से एक आवेदन दर्ज किया कि अपराधिक अपील स. 2779/2023 शीर्षक **पावना डिब्बुर बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1586** के रूप में संप्रकशित में उच्चतम न्यायालय के दिनांकित 29.11.2023 के निर्णय को अभिलेख में रखने की मांग की गई । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उक्त निर्णय का हवाला देते हुए निवेदन किया कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में जहां पी.एम.एल.ए. के तहत किसी व्यक्ति/अभियुक्त के खिलाफ संकेत/अनुसूचित अपराधों का अभिकथन नहीं लगाया गया है, प्रवर्तन निदेशालय भा.दं.सं. 1860 की धारा 120ख की सहायता से ऐसे व्यक्ति/अभियुक्त पर मुकदमा नहीं चला सकता है।

117. यह न्यायालय यह समझने/ मूल्यांकन करने में असमर्थ है कि उक्त भाव वर्तमान मामले के तथ्यों पर किस प्रकार लागू होगा। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता ने इस पहलू पर विस्तार से तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता/आयकर कार्यालय द्वारा वर्तमान शिकायत ई.डी. की ओर से प्रॉक्सी मुकदमा है, हालाँकि, ये अटकलें हैं क्योंकि शिकायत में कुछ ऐसे संदर्भों को छोड़कर, विचाराधीन शिकायत में अभिकथित अपराध केवल आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत हैं, न कि पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत है।

118. निष्कर्ष निकालने से पहले, यह ध्यान रखना उचित होगा कि जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने के संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन द्वारा जवाबी तर्क दिए जाने के बाद पिछली सुनवाई की तिथि पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था और इस प्रकार, प्रत्युत्तर तर्कों के अभाव में यह अनिर्णायक रहा। उक्त तर्कों को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की उपस्थिति का निर्देश देकर बाद में इस पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, उक्त आवेदन को आगे के विचार के लिए लंबित रखा जाता है।

119. मुद्दा संख्या (i) और (ii) के अवलोकन में ऊपर दी गई प्रथम दृष्टया टिप्पणियों और विद्वान दंडाधिकारी द्वारा की गई भौतिक अवैधता और

अनियमितता के आलोक में, इस न्यायालय की भी राय है कि आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने से संबंधित मुद्दा संख्या (iii) सकारात्मक होना चाहिए।

120 परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 278 ख (1) / 278 ड के साथ पठित धारा 276ग(1)/278 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख/199/200/204 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में शिकायत उस सीमा तक वापस करने के लिए सी.टी. मामले 1183/2022 में विद्वान अति.मु.महा.द. द्वारा पारित दिनांकित 06.04.2023 के आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

121 उपर्युक्त टिप्पणियां विशुद्ध रूप से *प्रथम दृष्टया* प्रकृति की हैं और इस स्तर पर मामले के गुणागुण पर किसी भी अभिव्यक्ति के समान नहीं होंगी।

122 आवेदनों का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है।

आप.वि.वा.2757/2023, आप.वि.आ.19972/2023, आप.वि.आ. 32859/2023
और आप.वि.आ. 32860/2023

123 माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन 19.01.2024 को रोस्टर न्यायपीठ के समक्ष सूची।

तुषार राव गेदेला
(न्यायाधीश)

जनवरी 8, 2024

एन डी/आरएल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।